हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना :-

निदेशक, राज्य लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच०एस०जी०-4(डी)1-1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है । तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डी मण्डल के लेखों अवधि 04/2023 से 03/2024 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया ।

क्रम संख्या	अधिशासी अभियन्ता का नाम	अवधि
1	श्री ललित कुमार	01.04.23 से 31.03.24

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के लेखों अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	रोकड़ बही अनुसार राशि अनियमित रूप से हस्तगत रखना	4(1)	6.07 से 14.18
2	दिनांक 31.03.24 को विविध अग्रिम की शेष राशि	5	48.40
3	विभिन्न विभागों के निक्षेप कार्यों पर प्राप्त राशि की तुलना अधिक व्यय करना	6(1)	350.84
4	निक्षेप कार्यों (Deposit Work) के निष्पादन में प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति को प्राप्त किये बिना व्यय करना	6(2)	324.27
5	रख-रखाव प्रभार के रूप में राशि वसूली हेतु शेष ।	7 (1)	84.93

6	जल प्रभार के रूप में राशि वसूली हेतु शेष ।	8 (1)	1.93
7	जल आपूर्ति योजनाओं से आय की अपेक्षा अधिक व्यय	8 (2)	0.91
8	प्रशासनिक प्रभार से आय की तुलना में वेतन व भत्तों पर अधिक व्यय	9	124.75

(ग) <u>गत अंकेक्षण प्रतिवेदन</u> :-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट "1"** में दर्शाई गई है । वर्ष 04/97 से 03/23 तक मण्डल से संबन्धित 88 पैरे शेष हैं, जिनका वर्ष वार विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

क्रम संख्या	**वर्ष**	**शेष पैरों की संख्या**	**टिप्पणी**
1	2000-01	1	
3	2007-08	2	
4	2009-10	1	
5	2010-11	3	
6	2011-12	3	
7	2012-13	3	
8	2013-14	3	
9	2014-15	2	
10	2015-16	1	
11	2016-17	17	
12	2017-18	11	
13	2018-19	3	
14	2019-20	1	
15	2020-21	9	
16	2021-22	14	
17	2022-23	12	
18	1997-98	1	नगर विकास प्राधिकरण से संबन्धित

19	1999-15.01.01	1	नगर विकास प्राधिकरण से संबन्धित
	कुल पैरे	**88**	

अतः अधिशाषी अभियंता, आवास एवं शहरी विकास मण्डल, मण्डी द्वारा उपरोक्त शेष पैरों में अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग-दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, मण्डी मण्डल के लेखों का अवधि 4/2023 से 3/2024 तक का अंकेक्षण कार्य श्री ब्रेजिंदर मोहन पुरी, उप-नियंत्रक व श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा श्री अनिल शर्मा, संयुक्त निदेशक के पर्यविक्षण में दिनांक 16.01.2025 से 06.03.2025 तक प्राधिकरण मण्डल के मण्डी कार्यालय में किया गया। माह 02/2024 के लेखों का चयन विस्तृत अंकेक्षण हेतु किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं जांच हेतु प्रस्तुत किए गये अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत, अधूरी अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए राज्य लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उतरदायी नहीं है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के लेखों अवधि 4/2023 से 3/2024 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4(1) **रोकड़ बही अनुसार ₹6.07 लाख से ₹14.18 लाख की राशि अनियमित रूप से हस्तगत रखना**

हि. प्र. वित्तीय नियमवाली, 1971 के नियम 2.2 अनुसार प्राप्त रोकड़, चेक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के बैंक में जमा करवाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डल कार्यालय द्वारा प्राप्त राशि को दैनिक आधार

पर बैंक खाते में जमा नहीं करवाया जा रहा था जोकि अनियमित है | अंकेक्षण अवधि के दौरान मास के अंत में हस्तगत रखी गई राशि का विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिससे स्पष्ट है कि ₹6.07 लाख से ₹14.18 लाख की बड़ी राशि अनियमित रूप से हस्तगत रख गई जो हिमुडा के वित्तीय हितों के उपेक्षा के साथ -साथ अस्थायी दुर्विनियोजन का भी एक प्रमाण है।

Month	**Detail of Cash in hand as per Cash Book (Last day of the month) (₹)**	**Cash Book Page No.**	**Month**	**Detail of Cash in hand as per Cash Book (Last day of the month) (₹)**	**Cash Book Page No.**
04/2023	1150095.43	4	10/2023	1250221.43	83
05/2023	**1418997.43**	21	11/2023	1181993.43	97
06/2023	1083192.43	33	12/2023	855265.43	113
07/2023	1075878.43	44	01/2024	851083.43	125
08/2023	1190620.43	57	02/2024	889564.43	141
09/2023	1258750.43	73	03/2024	**670031.43**	155

उक्त अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 1 दिनांक 20.01.2025 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता के ध्यान में ला दी गई थी जिसके उपरांत अधिशाषी अभियन्ता द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/Audit File/2023-24-5529 दिनांक 22.01.2025 द्वारा सम्बन्धित अधीक्षक को उनके पास हस्तगत राशि को तुरंत बैंक में जमा करने, ₹5000 से अधिक राशि हस्तगत न रखने तथा भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने बारे तो निर्देश जारी किये गए परन्तु इस सम्बन्ध में अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई बारे कोई विस्तृत लिखित सूचना अंकेक्षण के समाप्त होने की तिथि तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। अत: अब इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तथा नियमानुसार अनुपालना नियमित आधार पर सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवया जाये।

4(2) बैंक समाधान विवरणी तथा बैंक खातों के सम्बन्ध में अन्य अनियमिततायें :-

दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डल कार्यालय, मण्डी के बैंक खातों की बैंक समाधान विवरणी **परिशिष्ट- "2"** अनुसार है।

(1) बैंक समाधान विवरणी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि हिमुडा के मण्डी मण्डल द्वारा निम्न तालिका में दर्शाए गए चैक जारी किये गये थे लेकिन तीन मास से अधिक का समय बीत जाने के

उपरांत भी यह चैक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गए थे तथा अब कालातीत हो चुके हैं । अतः बैंक से पुष्टि उपरांत इन चैकों की राशि को रोकड़ वही के आय पक्ष में लेना सुनिश्चित करें ।

क्रमांक संख्या	खाता संख्या	चैक / ड्राफ्ट संख्या	राशि (₹)
1.	362102010004655 (UBI, Mandi)	137300 दिनांक 06.11.2023	5418
2.	362102010004655 (UBI, Mandi)	004073 दिनांक 18.03.2024	9153
		कुल योग	**14571**

(2) (i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डल कार्यालय द्वारा अपने बचत खाता संख्या Indusind Bank, Mandi Account No. 151002415414 से अवधि 01.04.2023 से 30.09.2024 तक कोई भी राशि आहरित नहीं की गई थी जो की अनियमित है यद्यपि बैंक खाते में दिनांक 03.02.2024 को ₹50 लाख की राशि और जमा करवाई गई थी जैसा कि निम्न तालिका में प्रदर्शित विवरण से स्वत: ही स्पष्ट है । इस बैंक खाते से राशि आहरित न करना तथा खाते में दिनांक 30.09.2024 को ₹9633537 की बड़ी राशि जमा होना हिमुडा के वित्तीय हितों की अपेक्षा बैंक के वित्तीय हितों को प्राथमिकता देने का प्रमाण है :

Date	Debit (₹)	Credit (₹)	Balance (₹)
01.04.2023	Nil		4021579
30.06.2023		57416	4078995
30.09.2023		60687	4139682
31.12.2023		62807	4202489
03.02.2024		5000000	9202489
31.03.2024		120017	9322506
30.06.2024		153396	9475902
30.09.2024		157635	9633537

(2)(ii) चालू बैंक खाते में अनुपयुक्त राशि रखने के कारण राशि ₹6.26 लाख की हानि :-

उक्त की तरह मण्डल कार्यालय द्वारा अपने Axis Bank, Mandi Account No. 913020040883895 के चालू बैंक खाते {Current Account} में भी दिनांक 30.11.2024 को ₹6950722.64 की बड़ी राशि जमा थी तथा इस खाते से अवधि 31.03.2020 से 30.11.2024 तक

कोई भी राशि आहरित नहीं की गई थी। यद्यपि पूर्व अनुच्छेद में वर्णित बचत खाते में ब्याज तो प्राप्त हो रहा था जबकि इस चालू बैंक खाते में मण्डल कार्यालय को ब्याज के रूप में कोई भी आय प्राप्त नहीं हुई। मण्डल स्तर पर अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण तथा हिमुडा मुख्यालय द्वारा इस संबध में पर्यवेक्षण के अभाव में इस चालू बैंक खाते में मण्डल कार्यालय द्वारा अत्यधिक राशि संग्रहित रखने के कारण निम्न तालिका में दर्शायी गई गणना अनुसार हिमुडा को ₹6.26 लाख की वित्तीय हानि पहुंचाई गई (यह गणना बचत खाते से न्यूनतम अर्जन योग्य ब्याज को आधार मान कर की गई है) तथा हिमुडा मुख्यालय से अधिक धनराशि की मांग कर हिमुडा के वित्तीय हितों की अपेक्षा बैंक के वित्तीय हितों को प्राथमिकता देने का प्रमाण है।

Date	Balance as per Pass Book (₹)	Loss of interest worked out at the lowest rate of 2.70% on the balance maintained on 31st March last (₹)
31.03.2020	2756596.00	0
31.03.2021	3130680.64	74428
31.03.2022	6019150.64	84528
31.03.2023	6359873.64	162517
31.03.2024	6561735.64	171717
		132875 **(Upto 31.12.2024)**
	Total	**626065**

(2) (iii) उपरोक्त के अतिरिक्त मण्डल कार्यालय द्वारा HPSCOB, Sauli Khud Account No. 33820100063 तथा PNB Account No. 3377002100006540 के रूप में भी दो अन्य खाते चालू बैंक खाते की प्रकृति के संचालित किये जा रहे थे जो कि मण्डल कार्यालय को ब्याज के रूप में कोई आय प्रदान नहीं कर रहे थे तथा न ही इन खातों में लेन देन की संख्या बहुत ज्यादा पाई गई।

(3) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डल कार्यालय द्वारा वर्ष 2023-24 में ₹4393.36 की राशि बतौर बैंक ड्राफ्ट चार्जेज खाते में दर्शायी गई थी जो कि उचित प्रतीत नहीं होती क्यांकि मण्डल कार्यालय द्वारा विभिन्न बैंक खातों में बड़ी राशि जमा रखी गई थी। अत: इस राशि को सम्बन्धित बैंक से वापिस लौटने का प्रयास किये जाएँ तथा भविष्य में भी इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखा जाये।

उक्त अनियमिततायें अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 1 दिनांक 20.01.2025 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता के ध्यान में लाई गई थी परन्तु अंकेक्षण के समाप्त होने की तिथि तक इस सम्बन्ध में कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: अब इस सम्बन्ध में वांछित कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत

करवाया जाये जबकि मण्डल स्तर पर अकुशल वित्तीय प्रबंधन के उक्त प्रकरण हिमुडा मुख्यालय के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने हेतु तथा इस सम्बन्ध में यथोचित दिशा-निर्देश जारी करने के उद्देश्य से हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ भी लाये जाते हैं।

5. **विविध अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत ₹ 48.40 लाख के अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना:-**

अंकेक्षण को **यथा परिशिष्ट-3** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निर्माण मण्डल, मण्डी के खातों में दिनाँक 31.3.2024 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों से **₹48,39,699.00** (अधिशासी अभियंता, परवाणू के ₹ 58864 Cr. अग्रिम को छोड़कर) के विविध अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न तालिका अनुसार क्रम संख्या 1 और 2 पर दर्ज प्रविष्टियों के समायोजन हेतु मण्डल स्तर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि अंकेक्षण द्वारा इस सम्बन्ध में लगातार आपत्ति उठाई जा रही है। ऐसी स्थिति में वितरित राशि को सम्बन्धित निर्माण कार्य के शीर्ष में डेबिट के स्थान पर भुगतान की गई संस्था के नाम से अनियमित रूप से लेखा शीर्ष खोले जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता तथा इस सम्बन्ध में समायोजन / समाधान अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 10 दिनांक 18.02.2025 के माध्यम से अधिशासी अभियंता को इस बारे अवगत करवा दिया गया था तथा अब इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है।

Sr. No.	Name of Firm/contractor	Opening balance as on 01.04.2023 (₹)		Misc. advance issued during the year 2023-24 (₹)	Adjusted during the year 2023-24 (₹)	Closing Balance as on 31.03.2024 (₹)
1	MD HPSCSC Shimla.	Dr.	3100099	2400	0	3102499
2	M/S Sood Steel Industies.	Dr.	537200	0	0	537200
3	Sh. Pankaj Gupta, Contractor.	Dr.	2300000	5300000	6900000	700000
4	Sh. Rakesh Kumar, Contractor.	Dr.	500000	1500000	1500000	500000
	Total		**6437299**	**6802400**	**8400000**	**4839699**

6 **(1) सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में निक्षेप कार्यों (Deposit Work) के सन्दर्भ में ₹350.84 लाख का अधिक व्यय करना :-**

निक्षेप कार्यों (Deposit Work) से सम्बन्धित अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विश्लेषण पर पाया गया कि यथा **परिशिष्ट-4** अनुसार 14 निक्षेप कार्यों (Deposit Work) के

सन्दर्भ में हिमुडा मण्डल कार्यालय, मण्डी द्वारा सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में ₹350.84 लाख का अधिक व्यय किया गया था। हिमुडा द्वारा जहां एक ओर विविध वित्तीय संस्थाओं से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेकर निर्माण कार्य को निष्पादित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर Deposit Work हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय करना हिमुडा के वित्तीय हितों पर भारी आघात है तथा साथ ही एक गम्भीर अनियमितता है। उपरोक्त परिशिष्ट में सम्बन्धित विभाग की कतार के विरुद्ध टिप्पणी स्तम्भ में दर्ज़ दिए गए विवरण अनुसार यद्यपि अधिशासी अभियंता द्वारा यह अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों के सम्बन्ध में किये गए अधिक व्यय की वसूली हेतु सम्बन्धित विभाग से मामला पत्राचार अधीन है परन्तु फिर भी अधिकांश वसूली बकाया है। अत: परामर्श दिया जाता है कि अब इन प्रसंगों में मामला हिमुडा मुख्यालय के माध्यम से प्रदेश सरकार के उच्चतम स्तर पर उठाकर अधिक व्यय की गई धनराशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये जैसा कि अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 5 दिनांक 15.02.2025 द्वारा अनुरोध भी किया गया था तथा साथ ही भविष्य में निर्माण कार्यों का निष्पादन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही सुनिश्चित कर हिमुडा के वित्तीय हितों की समुचित सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाये।

6(2) निक्षेप कार्यों (Deposit Work) के निष्पादन में प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति को प्राप्त किये बिना ₹ 324.27 लाख का व्यय करना :-

अंकेक्षण को मण्डल कार्यालय द्वारा निक्षेप कार्यों (Deposit Work) से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि यथा **परिशिष्ट-4 अनुसार 14** निर्माण कार्यों में से 11 निर्माण कार्यों (अर्थात क्रमांक 6, 13 & 14 पर दर्शाए प्रसंगों को छोड़कर) के सम्बन्ध में संस्था द्वारा ₹2851.64 लाख के प्रशासनिक अनुमोदन / व्यय स्वीकृति के विरुद्ध ₹3175.91 लाख का व्यय कर ₹ 324.27 लाख का अधिक व्यय किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है।

उपरोक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 5 दिनांक 15.02.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्त होने की तिथि तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रशासनिक अनुमोदन / व्यय स्वीकृति को प्राप्त किये बिना व्यय का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्णित Deposit Work के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन / व्यय स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान भी रखा जाये।

7(1) रख-रखाव प्रभार की राशि वसूली हेतु शेष ₹ 84.93 लाख:-

अंकेक्षण को **यथा परिशिष्ट "5"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार रख-रखाव प्रभार की राशि ₹**8493230** वसूली हेतु शेष थी जो कि गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7 की तुलना में 12.45 % बढ़ गई है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण से स्वत: ही स्पष्ट है। क्रम संख्या 4,5,6 पर दर्ज आवासीय बस्तियों के सन्दर्भ में रख-रखाव प्रभार की बकाया राशि गत वर्ष की तुलना में 23% से 56 % तक बढ़ गई है जोकि उप मण्डल स्तर पर बकाया राशि की वसूली हेतु संतोषजनक प्रयास न किया जाने का परिणाम है :-

Sr. No.	Name of Colony/Complex	Maintenance Charges outstanding as on 31.03.2023 (₹)	Maintenance Charges outstanding as on 31.03.2024 (₹)	% increase over last year
1	PSFS Shahi Nallah, Bajoura-I, Kullu	1288435	1297984	0.74
2	PSFS Shahi Nallah, Bajoura-II,Kullu	994910	1035901	4.12
3	Shopping Complex Beasa More Kullu	1941973	2129081	9.63
4	Social Housing Colony Bilaspur,Phase-I & Phase-2	2038949	2517635	23.47
5	Housing Colony at Daruhi,Hamirpur	336899	417287	23.86
6	Self Financing Scheme at Sanyard, Mandi	408088	638361	56.42
7	Self Financing Scheme at Daundhi, Mandi	453644	366998	-19.09
8	Housing Colony at Sundernagar, Mandi	89983	89983	Nil
Total		**7552881**	**8493230**	**12.45%**

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न करने से जहां एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई रख-रखाव प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 15.02.2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्त होने की तिथि तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण को चर्चा के दौरान आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार की लम्बित राशि की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके।

7(2) हिमुडा मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप वार्षिक समीक्षा (Annual Review) कर रख-रखाव की दर निर्धारण न कर ₹ 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से ही वसूली जारी रखना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मण्डी मण्डल के अधीन मण्डी व् कुल्लू उप-मण्डलों द्वारा रख-रखाव प्रभार की राशि ₹ 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से ही वसूली जा रही थी जबकि हिमुडा मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या No. HIMUDA/8-4/2019(48th meeting)-Admn. 9190-207 Dated 26.11.2019 जिसके अनुसार रख-रखाव प्रभार की दर निर्धारण के सम्बन्ध में शक्तियाँ अधीक्षण अभियंता को दी गई थी तथा प्रत्येक वर्ष मार्च में स्थानीय निवासियों, निवासी कल्याण संघ (Resident Welfare Association) तथा संबन्धित अधिशासी अभियंता के साथ बैठक कर आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित दीर्घ कालीन तथा पुनरावृति वाली प्रकृति की रख-रखाव की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कॉलोनी हेतु रख-रखाव की दरें निर्धारित की जानी अपेक्षित थी ताकि प्रस्तावित खर्च की प्रतिपूर्ति आय से ही हो सके । परंतु अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 19.02.2025 व् ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 27.02.2025 द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई बारे पुछे जाने पर भी अंकेक्षण को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई । अत: प्रतीत होता है कि यह आदेश लागू ही नहीं किए गए थे जोकि एक गम्भीर अनियमित्ता है तथा मामला हिमुडा उच्च प्रबंधन के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है ।

7(3) मण्डी उप-मण्डल द्वारा रख-रखाव प्रभार पर दण्ड ब्याज सही तरीके से अधिरोपित न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आबंटियों द्वारा रख-रखाव प्रभार के बिलों का देरी से भुगतान करने पर दण्ड ब्याज भी मण्डी उप-मण्डल द्वारा भिन्न प्रकार से अधिरोपित किया जा रहा था । देरी से भुगतान करने पर दण्ड ब्याज 14 % की फ्लैट दर से ही अधिरोपित किया जा रहा था जबकि हिमुडा मुख्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या No. HB-18-1/88-Admn. Dated 29.06.1999 सहपठित पत्र संख्या No. HHB/ Accts-307/04-Vol-VIII dated 29.07.2004 अनुसार देय तिथि से बाद राशि प्राप्त होने पर 5% की दर से सरचार्ज लगाया जाना था जबकि बिल चक्र की अवधि

समाप्त होने पर राशि प्राप्त होने की स्थिति में देरी की अवधि की गणना कर ब्याज 14 % per annum की दर से अधिरोपित किया जाना अपेक्षित था अर्थात यदि अवधि अप्रैल से सितम्बर के लिए बिल मार्च में जारी किया गया तो 30 सितम्बर के बाद राशि प्राप्त होने की स्थिती में ही देरी की अवधि हेतु ही 14 % per annum की दर से ब्याज अधिरोपित किया जाना वांछित था | इस प्रकार सही तरीके से सरचार्ज व् ब्याज की गणना न किये जाने के कारण आबंटियों के शोषण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जबकि यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि गत कुछ वर्षो से ब्याज की गणना भी चक्रव्रिधि आधार पर की गई थी जबकि पूर्व में हर बिल चक्र पर ब्याज की गणना पृथक- पृथक आधार पर की जा रही थी अर्थात साधारण ब्याज आधार पर की जा रही थी | इस प्रकार रख-रखाव प्रभार को लेकर जारी आदेश /दिशानिर्देश को लागू करने के प्रसंग में संबन्धित कर्मचारियों को पूर्ण ज्ञान न होने कारण तथा उनके पर्यवेक्षण /नियंत्रण अधिकारियों द्वारा उनको इस सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन प्रदान न किए जाने के कारण अंकेक्षण समाप्त होने की तिथि तक आबंटियों से अधिक दर से दंड ब्याज अधिरोपित कर उनका शोषण जारी था । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 19.02.2025 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण समाप्त होने की तिथि तक इस सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अत : मामले की गम्भीर ता को देखते हुए यह प्रसंग हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है कि इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाये तथा प्रतिवर्ष ब्याज की दर के स्थान पर एक स्थायी दर जोकि रुपये में प्रतिदिन आधार पर तय हो (Rate fixed in rupees for each day of late deposit say ₹5 per day of delay) ,के अनुसार दण्ड राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये ताकि कार्यालय स्तर पर तथा आबंटी के स्तर पर इस सम्बन्ध में सरलता से गणना संभव हो सके तथा कोई विवाद उत्पन्न न हो अन्यथा किसी पीड़ित आबंटी द्वारा उपभोक्ता प्रकोष्ठ (Consumer Forum) व किसी अन्य न्यायालय के समक्ष शिकायत की स्थिति में हिमुडा को आबंटियों के वर्तमान में जारी शोषण के दृष्टिगत भारी जुर्माना लगाए जाने की पूरी-पूरी संभावना है ।

7(4) अभिलेख उपलब्ध न करवाना :-

हिमुडा उप-मण्डल, मण्डी के अधीन आवास बस्ती, धोंडी, व् संन्यार्ड के रख-रखाव प्रभार के सम्बन्ध में प्रयुक्त रसीद संख्या कमश: 1101-1200 तथा 1201-1300 तथा हिमुडा उप-मण्डल, कुल्लू के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों से रख-रखाव प्रभार के सम्बन्ध में प्रयुक्त रसीद संख्या 18201 -18300 के सम्बन्ध में स्टॉक प्रविष्टि न दर्शाए जाने के कारण इनका सत्यापन अंकेक्षण स्तर पर न हो सका जबकि ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 19.02.2025 तथा ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 27.02.2025 द्वारा

इस सम्बन्ध में विशेष अनुरोध भी किया गया था। अत: अब अंकेक्षण के आगामी दौरे के दौरान वांछित अभिलेख दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8 **(1) जल प्रभार की राशि ₹1.93 लाख वसूली हेतु शेष :-**

अंकेक्षण को **यथा परिशिष्ट "5"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार जल प्रभार की ₹ **192977.00** की राशि वसूली हेतु शेष थी जो कि यद्यपि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 (क) में दर्शायी गई राशि की तुलना में 10.62 % कम पाई गई जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण से स्वत: ही स्पष्ट है। परन्तु तब भी यह एक बड़ी राशि है जिसकी वसूली हेतु मण्डल स्तर पर सतत प्रयास वांछित हैं :-

Sr. No.	Name of Colony/Complex	Water Charges outstanding as on 31.03.2023	Water Charges outstanding as on 31.03.2024
1	PSFS Shahi Nallah, Bajoura-I,Kullu	85691	65613
2	PSFS Shahi Nallah, Bajoura-II,Kullu	55253	54575
3	Housing Colony at Daruhi,Hamirpur	6646	6646
4	Housing Colony at Naya Nagar, Hamirpur	16536	16973
5	Self Financing Scheme at Sanyard, Mandi	9419	6803
6	Self Financing Scheme at Daundhi, Mandi	42384	42367
Total		**215929**	**192977**
% Decrease		**10.63%**	

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 15.02.2025 द्वारा इस बारे अवगत करवा दिया गया था तथा इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान आश्वस्त किया गया कि अपेक्षित कार्रवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः आपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 **(2) जल आपूर्ति योजनाओं से आय की अपेक्षा ₹0.91 लाख का अधिक व्यय :**

अंकेक्षण अवधि के दौरान 'जल प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति तथा भुगतान के आधार पर आय व व्यय का विवरण निम्न तालिका अनुसार था। आंकड़ों से स्पष्ट है कि मण्डल स्तर पर अंकेक्षण अवधि के दौरान जल प्रभार शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों की तुलना में 113.28 % राशि को जल आपूर्ति योजनाओं पर खर्च किया गया था तथा क्रम संख्या **2, 4** और **5** में दर्ज जल आपूर्ति योजना के अतिरिक्त अन्य सभी जल आपूर्ति योजनायें घाटे में जा चुकी थी

Sr. No.	HIMUDA Div. Mandi	Income Received during the Year 2023-24 as per Ledger (Ledger Page No.) "A"	Expenditure during the year as per Trial Balance 2023-24 "B"	Expenditure as % of Income "B" /"A" x100
1	Water Charges Daundhi	2886.00 **(P-68)**	37874	1312%
2	Water Charges Sanyard	4625.00 **(P-70)**	Nil	-----
3	Water Charges, Nayanagar	148960.00 **(P-78)**	184152	123.63%
4	Water Charges, Bajaura-I	199433.01 **(P-72)**	196707	98.63%
5	Water Charges, Bajaura-II	210085.00 **(P-75)**	127644	60.76%
6	Water Charges Daruhi	120827.00 **(P-77)**	231676	191.74%
	Overall picture	**686816.01 "A"**	**778053 "B"**	**113.28%**
	Overall Loss	**"B' -"A"**		**₹91236.99**

उक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 15.02.2025 द्वारा संस्था के ध्यानार्थ लाई गई थी जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण को चर्चा के दौरान आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई बारे आश्वासन दिया गया। अत: अब आश्वासन अनुसार कार्रवाई कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8(3) अभिलेख उपलब्ध न करवाना :

हिमुडा उप-मण्डल, कुल्लू के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों से जल प्रभार की निर्धारित घरेलू दर ₹12.50/KL, व्यवसायिक दर ₹25/KL तथा शौपिंग परिसर की दर ₹59/KL से सम्बन्धित आदेश अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए जबकि जल प्रभार एकत्रीकरण हेतु प्रयुक्त रसीद संख्या 43101-43200 के सम्बन्ध में स्टॉक प्रविष्टि न दर्शाए जाने के कारण, इनका सत्यापन अंकेक्षण स्तर पर न हो सका। साथ ही हिमुडा उप-मण्डल, हमीरपुर के अधीन विभिन्न आवास बस्तियों से जल प्रभार की निर्धारित घरेलु दर 40.70/KL से सम्बन्धित आदेश भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गए | ज्ञापन संख्या 12 दिनांक 27.02.2025 द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष अनुरोध कर सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्त होने की तिथि तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: अंकेक्षण को वांछित अभिलेख दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9. प्रशासनिक प्रभार से आय की तुलना में वेतन व भत्तों पर ₹124.75 लाख की राशि का अधिक व्यय:-

हिमुडा निर्माण मण्डल, मण्डी द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों से अर्जित प्रशासनिक प्रभार की तुलना में वेतन एवं भत्तों पर ₹1,24,75,470 का अधिक व्यय किया गया था जो कि गत वर्ष की तुलना में तो काफी कम

है जब यह आंकड़ा ₹2,74,73,549 का था, परंतु फिर भी एक बहुत बड़ा अंतर है। अत : संस्था के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु प्रशासनिक प्रभार से आय को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने अपेक्षित है ताकि अधिकतम स्थापना व्यय की मण्डल स्तर पर अर्जित प्रशासनिक प्रभार से प्रतिपूर्ति हो सके। अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 15.02.2025 के माध्यम से अधिशासी अभियंता को इस बारे अवगत करवा दिया गया था। अत: इस सम्बन्ध में अब प्रभावी कदम उठाते हुये वांछित कार्रवाई अपेक्षित है।

Year	Establishment Expenses (Rs.) "A"	Departmental Charges (Rs.) "B"	Excess of Establishment Expenses over the Departmental Charges	Extent to which Establishment Expenses have been met out of Departmental Charges
			(₹)	in %
2022-23	45067729	17594180	27473549	39.04%
2023-24	41328738	28853268	12475470	69.81%

10. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे :

हिमुडा मण्डल, मण्डी द्वारा वाउचर संख्या 126 दिनांक 26.02.2024 ₹ 166535 के अंतर्गत अदा किये गए ₹88713 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमिततायें पाई गई :-

10(1) श्री बीरी सिंह JDM's को ₹10794 (₹6287+₹4507) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का अनियमित भुगतान :-

उपरोक्त कर्मचारी को आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, मण्डी से स्वयं के उपचार के लिए prescribe की गई निम्न विवरणानुसार दवाओं के क्रय पर व्यय की गई ₹10794 की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी जबकि यह Medical Attendance Rules, 1944 के अनुसार देय आयुर्वेदिक दवाओं की सूचि (List of admissible medicines) में शामिल ही नहीं थी तथा परिणामस्वरूप प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी। अत : अब या तो इस अनियमित प्रतिपूर्ति को सहायक नियम/ निर्देश सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा ₹10794 के अनियमित अधिक भुगतान की सम्बन्धित से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Claim for ₹6287			Claim for ₹4507		
Sr. No.	**Name of Medicine prescribed**	**Amount (₹)**	**Sr. No.**	**Name of Medicine prescribed**	**Amount (₹)**
1	Tab. Tendocel Advance	2250.00	1	Tab. Tendocel Advance	2250.00
2	Tab. Melatrip D	1290.00	2	Tab. Melatrip D	645.00
3	Cap Ostirol	810.00	3	Cap Ostirol	810.00
4	Diki Oil	570.00	4	Diki Oil	570.00
5	Tab GPI	110.88	5	Tab GPI	110.88
6	Tab Matpormium	56.10	6	Tab Matpormium	121.30
7	Order forte	1200.00			
	Total	**6286.98**		**Total**	**4507.18**
	Overall Total	**₹10794**			

10(2) श्री कुलदीप सिंह, बेलदार को ₹4477(₹2690+₹1787) के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का अनियमित भुगतान :-

उपरोक्त कर्मचारी को वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ), जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, हमीरपुर से स्वयं के उपचार के लिए prescribe की गई निम्न विवरणानुसार दवाओं के क्रय पर व्यय की गई ₹ 4477 की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी जबकि यह Medical Attendance Rules, 1944 के अनुसार देय आयुर्वेदिक दवाओं की सूचि (List of admissible medicines) में शामिल ही नहीं थी तथा परिणामस्वरूप प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी । अत : अब या तो इस अनियमित प्रतिपूर्ति को सहायक नियम/ निर्देश सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा ₹ 4477 के अनियमित अधिक भुगतान की सम्बन्धित से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Claim for Rs. 2690			Claim for Rs. 1787		
Sr. No.	**Name of Medicine prescribed**	**Amount (₹)**	**Sr. No.**	**Name of Medicine prescribed**	**Amount (₹)**
1	Dartvit Gold	1083	1	Glucim PG2	290
2	Glucim PG2	290	2	Debix Tab	310
3	Just Move Oil	570	3	Debix Tab	310
4	BGR 34 Tab	600	4	BGR 34 Tab	600
5	Telmicam 40	202	5	Telmicam 40	202
			6	Cynocal 16	75

	Total	**2745**		**Total**	**1787**
	Less: Discount	**55**		**Less: Discount**	**Nil**
	Net amount	**2690**		**Net amount**	**1787**
	Overall Total	**₹4477**			

10(3) श्री सुमेश शर्मा, कार्य निरीक्षक को ₹413 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का अनियमित भुगतान:-

उपरोक्त कर्मचारी को वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ), जिला आयुर्वेदिक अस्पताल, हमीरपुर से स्वयं के उपचार के लिए prescribe की गई निम्न विवरणानुसार दवाओं के क्रय पर व्यय की गई ₹ 413 की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी जबकि यह Medical Attendance Rules, 1944 के अनुसार देय आयुर्वेदिक दवाओं की सूचि (List of admissible medicines) में शामिल ही नहीं थी तथा परिणामस्वरूप प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी । अत : अब या तो इस अनियमित प्रतिपूर्ति को सहायक नियम/ निर्देश सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा ₹ 413 के अनियमित अधिक भुगतान की सम्बन्धित से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Claim for ₹413		
Sr. No.	**Name of Medicine prescribed**	**Amount (₹)**
1	Symcast LC Tab	69.00
2	Codox L Cap	94.50
3	Swasani Avaleh SDH	240.00
4	NAC 50	17.50
	Total	**421.00**
	Less Discount	**8.00**
	Net amount	**413.00**

10(4) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अधिशासी अभियंता द्वारा अंपने व्यक्तिगत दावे अर्थात चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं यात्रा भत्ता दावे अपने स्तर पर ही पारित किये जा रहे थे जबकि इस सम्बन्ध में हिमुडा मुख्यालय द्वारा प्रदत शक्तियों बारे अंकेक्षण को सूचित नहीं किया गया जबकि अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 28.01.2025 द्वारा इस सम्बन्ध में अवगत करवाने बारे विशेष अनुरोध किया गया था।

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 2 दिनांक 24.01.2025 द्वारा उपरोक्त अनियमिततायें अधिशासी अभियंता महोदय के ध्यानार्थ लाई गई थी तथा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/Audit file/ 2023-

24-6137-38 दिनांक 08.02.2025 द्वारा मामला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला से उक्त प्रसंगों में तथा अधिशासी अभियंता द्वारा अपने व्यक्तिगत दावे अपने स्तर पर ही पारित करने के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन / निर्देश हेतु उठाये जाने बारे सूचित किया गया | अत: अब इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला से प्राप्त होने वाले मार्गदर्शन अनुसार अंतिम कार्रवाई कर, जिसमे सम्बन्धी से वसूली भी शामिल है, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

11. यात्रा भत्ता दावे :

हिमुडा मण्डल, मण्डी के अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या 126 दिनांक 26.02.2024 मुबलिग ₹166535 के अंतर्गत अदा की गई राशि में से ₹77822 के यात्रा भत्ता दावों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न अनियमिततायें पाई गई :-

11 (1)हिमुडा मण्डल, मण्डी के सहायक अभियन्ताओं द्वारा निर्माधीण कार्यों के कार्य स्थल के निरीक्षण के अतिरिक्त अन्य यात्राओं हेतु भी निजी गाड़ी का अनियमित प्रयोग करने के फलस्वरूप ₹0.08 लाख का अनियमित भुगतान एवं अन्य अनियमिततायें : -

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला द्वारा जारी आदेश संख्या HIMUDA:5-439/2005-Admn दिनांक19.05.2006 के अनुसार हिमुडा के सहायक अभियंताओं को केवल निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु ही निजी गाड़ी के उपयोग की अनुमति दी गई थी परंतु चयनित माह 02/2024 के दौरान यात्रा भत्ते दावों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों के निरीक्षण के अतिरिक्त अन्य यात्राओं हेतु निजी गाड़ी के प्रयोग हेतु भी यात्रा भत्ते दावे प्रस्तुत किये गये थे जिनका मण्डल स्तर पर यथावत भुगतान कर दिया गया जबकि उन्हें केवल बस किराया का भुगतान ही किया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप, निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार सहायक अभियंताओं को ₹7984 का अनियमित अधिक भुगतान कर दिया गया जिस बारे या तो समर्थित आदेश सहित वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित से वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Sr. No.	Date of Journey	Journey		Purpose of the visit	Number of Kms.	Own Car Charges paid @ ₹ 8 per km	Actual Bus fare admissible @ ₹2.25/ km	Amount overclaimed and paid
		From	To		Kms	(₹)	(₹)	(₹)
(i) Sh. Nagender Singh, Assistant Engineer								
TA Claim for the month of 02/2023 for ₹7170								
	02.02.2023	Bilsapur	Dharamsala	To attend budget meeting	153	1224	344	880
	03.02.2023	Dharamsala	Bilsapur	To attend budget meeting	153	1224	344	880
	07.02.2023	Bilsapur	Mandi & back	To attend budget meeting	138	1104	310	794
	10.02.2023	Bilsapur	Dharamsala & back	To attend meeting	306	2448	688	1760
TA Claim for the month of 06/2023 for ₹2592								
	12.06.2023	Bilsapur	Shimla	To attend Training w.e.f. 13 to 15.06.2023 at Mashobra as per O/O No. HIMUDA/CE /Catt/2010-Vol.XIV-7469-85 dated 02.06.2023	112	896	252	644
	16.06.2023	Shimla	Bilsapur		112	896	252	644
				Sub Total		**7792**	**2190**	**5602**
	Amount overpaid to Sh. Nagender Kumar, AE ₹5602							

11(1) (ii) उपरोक्त के अतिरिक्त मास 06/ 2023 के ₹2592 के यात्रा भत्ते दावे के अंतर्गत यदि उक्त अधिकारी को प्रशिक्षण के दौरान रहने तथा भोजन की सुविधा संस्था के खर्च पर दी गई थी तो उनको अदा किये गए दैनिक भत्ते से भी यात्रा भत्ते नियमानुसार वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण कोअवगत करवाया जाये क्योंकि दोनों सुविधाए मुफ्त उपलब्ध करवाए जाने के स्थिति में दैनिक भत्ता केवल 25% ही देय होता है।

11(2) Sh. Ravi Kumar, Assistant Engineer

TA Claim for the month of 10/2023 for ₹4464

	06.10.2023	Kullu	Mandi	To attend meeting	69	552	155	397
	07.10.2023	Mandi	Kullu	To attend meeting	69	552	155	397
TA Claim for the month of 11/2023 for ₹1994								
	30.11.2023	Kullu	Mandi & back	Official work	138	1104	310	**794**
TA Claim for the month of 12/2023 for ₹1640								
	18.12.2023	Kullu	Mandi	To prepare estimates	69	552	155	397
	20.12.2023	Mandi	Kullu		69	552	155	397
				Sub Total		**3312**	**930**	**2382**
							Grand total (5602 + 2382)	**7984**

11(3) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सहायक अभियन्ताओं को निजी गाड़ी से यात्रा करने हेतु वित्त (विनियमन) विभाग, हि. प्र. द्वारा OM No. Fin(C)-B(7)-1/2009-Loose दिनांक

22.04.2016 द्वारा अधिसूचित ₹ 8 प्रति किलोमीटर दर से भुगतान किया गया / जा रहा था जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला द्वारा इस सम्बन्ध में जारी पत्र संख्या HIMUDA:5-439/2005- Admn दिनांक 19.05.2006 अनुसार निजी गाड़ी से यात्रा करने हेतु ₹ 6 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान अधिकृत किया गया था। इस प्रकार अंकेक्षण के स्तर पर यह स्पष्ट न हो सका कि क्या उक्त कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 22.04.2016 द्वारा अधिसूचित ₹ 8 प्रति किलोमीटर की दर से सहायक अभियन्ताओं को निजी गाड़ी से यात्रा करने हेतु भुगतान यथावत देय था अथवा इस सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक 19.05.2006 को जारी आदेशों के दृष्टिगत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य था ?

11(4) अंकेक्षण के दौरान यात्रा भत्ता दावों में प्रयुक्त निजी गाड़ी के नंबर का उल्लेख भी दर्ज़ नहीं पाया गया और तब भी दावों का भुगतान जारी कर दिया गया जो कि अनियमित है | इस प्रथा को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाये तथा साथ ही निजी गाड़ी के नंबर के अभाव में किये गए भुगतान को भी न्यायोचित ठहराया जाये |

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 2 दिनांक 24.01.2025 द्वारा उपरोक्त अनियमिततायें अधिशासी अभियंता महोदय के ध्यानार्थ लाई गई थी तथा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/Audit file/ 2023-24-6137-38 दिनांक 08.02.2025 द्वारा मामला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला से उचित मार्गदर्शन / निर्देश हेतु उठाये जाने बारे सूचित किया गया | अत: अब इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला के निर्देश अनुसार अंतिम कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

11(5) मुख्यालय से 30 KM के दायरे (radius) में की गई यात्राओं हेतु राशि ₹ 0.13 लाख TA/DA का अनियमित भुगतान एवं अन्य अनियमिततायें जिस बारे कर्मचारी वार विवरण निम्न है :-

11(5)(1)(i) श्री रमेश चंद ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता

उपरोक्त कर्मचारी को उनके 10/2023 के ₹ 968 तथा 11/2023 के ₹ 1752 के यात्रा भत्ते दावों के अंतर्गत मुख्यालय बिलासपुर से बैहना जट्टान और वापस की यात्राओं के लिए ,जो कि बिलासपुर से 30 किलोमीटर से कम दूरी पर है, विभिन्न तिथियों 06.10.2023, 23.10.2023, 25.10.2023 और 30.10.2023 तथा 03,08,14,17,18,20,21,23,24,25,28 और 30.11.2023 को की गई यात्राओं के लिए ₹146 प्रति दिन (किराया ₹ 96 (48x2)+ ₹50 DA) की दर से ₹ 2336 {₹584 का 10/23 हेतु +₹1752 का 11/23 हेतु} के यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया था, जो कि

वित्त (Regulation) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या Fin(C)(B)(7)1/2023 दिनांक 24.05.2023 में दिये गए प्रावधानानुसार अनुचित व अनियमित प्रतीत होता है क्योंकि उक्त अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी द्वारा मुख्यालय से 30 KM के दायरे के अन्दर की गई यात्राओं हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं है । परिणामस्वरूप उक्त कर्मचारी को यात्रा भत्ते के रूप में **₹2336** की राशि का अधिक अनियमित भुगतान किया गया।

11(5)(1)(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रमेश चंद ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता को मास 09/2023 के ₹582 के यात्रा भत्ते दावे के अंतर्गत बिलासपुर स्थित उनके मुख्यालय से बाहर 6 घंटे तक के ठहराव के लिए निम्न तालिका में दर्शाए विवरण अनुसार ₹100 बतौर दैनिक भत्ता अदा कर दिया गया, जबकि यात्रा भत्ता के नियमानुसार मुख्यालय से 6 घंटे तक की अनुपस्थिति के लिए दैनिक भत्ता देय ही नहीं था।

Date	**Journey from -- to---**	**Timings**	**DA paid which was not admissible (₹)**
26.09.2023	Bilaspur to Kuthera & back	10:30 AM to 4:30 PM	50
28.09.2023	Bilaspur to Kuthera & back	11:30 AM to 5:00 PM	50
		Total	**100**

11(5)(2) श्री पुनीत कुमार, कनिष्ठ अभियंता

उपरोक्त कर्मचारी को भी मुख्यालय मण्डी से 30 किलोमीटर से कम दूरी तक की यात्राओं के लिए माह 10/2023 , 11/2023 व 12/2023 में क्रमश : ₹2902 , ₹2791 व ₹2303 अर्थात कुल **₹7996** की राशि का भुगतान यात्रा भत्ते के रूप में किया गया था, जबकि उपरोक्त दिनांक 24.05.2023 की अधिसूचना के दृष्टिगत उन्हें कुछ भी देय नही था|

11(5)(3)श्री राज कुमार, जूनियर तकनीशियन

उपरोक्त कर्मचारी को उनके 10/2023 के **₹** 2286, 11/2023 के ₹ 2318 तथा 12/2023 के ₹ 1958 के यात्रा भत्ते दावों के अंतर्गत मुख्यालय बिलासपुर से घुमारवीं और वापस की यात्राओं के लिए जो कि बिलासपुर से 30 किलोमीटर से कम दूरी पर है विभिन्न तिथियों अर्थात 09.10.2023, 16.10.2023, 03.11.2023, 16.11.2023, 07.12.2023,16.12.2023, 20.12.2023, 21.12.2023, 23.12.2023 और 26.12.2023 को की गई यात्राओं हेतु **₹**138 प्रति दिन (किराया **₹** 96 (48x2) +

₹42 DA)की दर से कुल ₹1380 का बतौर यात्रा भत्ते का भुगतान किया गया था जबकि उपरोक्त दिनांक 24.05.2023 की अधिसूचना के दृष्टिगत उन्हें कुछ भी देय नही था |

11(5)(4) श्री मुनीश राज, सहायक अभियंता:-

उपरोक्त अधिकारी को उनके 10/2023 के ₹ 1248 के यात्रा भत्ते दावे के अंतर्गत मुख्यालय हमीरपुर से टौणी देवी और वापस की यात्रा के लिए ,जो कि बिलासपुर से 30 किलोमीटर से कम दूरी पर है, दिनांक 17.10.2023 को की गई यात्रा के लिए ₹ 308 {निजी गाड़ी का किराया **₹ 224** (14x2@8 per Km)+ **₹ 84** DA} की राशि का भुगतान किया गया जबकि उपरोक्त दिनांक 24.05.2023 की अधिसूचना के दृष्टिगत उन्हें कुछ भी देय नही था |

11(5)(5) श्री किशन चंद, चौकीदार:-

उपरोक्त कर्मचारी को मुख्यालय कुल्लू से बजौरा और वापस की यात्राओं लिए , जो कि कुल्लू से 30 किलोमीटर से कम दूरी पर है, विभिन्न तिथियों 02.12.2023, 06.12.2023, 13.12.2023, 14.12.2023, 22.12.2023, 26.12.2023 और 28.12.2023 ,15.01.2024 ,17.01.2024 को की गई यात्राओं के लिए ₹66 प्रति दिन की दर से कुल ₹ 594 तथा दिनांक 18.12.2023 और 19.01.2024 को कुल्लू से भुंतर और वापस की यात्रा हेतु ₹44 प्रति दिन की दर से कुल **₹ 88** अर्थात कुल ₹ 682 के यात्रा भत्ते दावे का भुगतान किया गया था जबकि उपरोक्त दिनांक 24.05.2023 की अधिसूचना के दृष्टिगत उन्हें कुछ भी देय नही था |

11(5)(6) श्री रवि कुमार, सहायक अभियंता :-

उपरोक्त अधिकारी को उनके 11/2023 के ₹1994 तथा 12/2023 के ₹ 1640 के यात्रा भत्ते दावों के अंतर्गत दिनांक 28.11.2023 और 07.12.2023 को कुल्लू से बंदरोल और वापसी यात्रा हेतु क्रमश: ₹ 235 (11x2 @ 8 रुपये प्रति किमी.=176+59 रुपये DA) और ₹ 176 (11x2 @ 8 रुपये प्रति किमी.) अर्थात कुल ₹ 411 के यात्रा भत्ते दावे का भुगतान किया गया था जबकि उपरोक्त दिनांक 24.05.2023 की अधिसूचना के दृष्टिगत उन्हें कुछ भी देय नही था |

11(5)(7) उपरोक्त प्रकरण केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मास 02/2024 के हैं जबकि अन्य मासों अर्थात मास- 02/2024 से पूर्व तथा उसके पश्चात भी इस प्रकार के अनियमित अधिक भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: शेष प्रकरणों की अपने स्तर पर समुचित जाँच कर तथा अधिक भुगतान यदि कोई हो, की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 2 दिनांक 24.01.2025 द्वारा उपरोक्त अनियमिततायें अधिशासी अभियंता महोदय के ध्यानार्थ लाई गई थी तथा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण माँगा गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशासी अभियंता द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/MD/AB/Audit file/ 2023-

24-6137-38 दिनांक 08.02.2025 द्वारा मामला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, हिमुडा, शिमला से उक्त प्रसंगों में उचित मार्गदर्शन / निर्देश हेतु उठाये जाने बारे सूचित किया गया। अतः अब इस सम्बन्ध में अंतिम कार्रवाई कर, जिसमे सम्बन्धी से वसूली भी शामिल है, अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. Performance Guarantee एवं Additional Performance Guarantee के रुप में प्राप्त अधिकांश Bank Guarantees /FDRs की परिपक्वता समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण न करवाना :

Performance Guarantee एवं **Additional Performance Guarantee** से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार संविदाकारों से प्राप्त अधिकांश **Bank Guarantees /FDRs** की परिपक्वता अवधि समाप्त हो चुकी थी जबकि सम्बन्धित कार्य अंकेक्षण समाप्त होने की तिथि तक भी पूर्ण नहीं हुए थे जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा हिमुडा के वित्तीय हितों की उपेक्षा का एक स्पष्ट संकेत है | इस सम्बन्ध में कुछ प्रकरण उदाहरणार्थ निम्न तालिकाओं में दिए गए हैं:

Performance Guarantees के रूप में ली गई Bank Guarantees /FDRs जिनकी परिपक्वता अवधि समाप्त हो चुकी थी

Sr. No.	Name of Contractor	Name of Work	Ref. No. of Bank Guarantee / FDR a/w Page / Sr. No. Number of the concerned Register	Amount (₹)	Expired on
1	M/s KDN Infra (P) Ltd.	PSFS, Dhaundi (C/o 8No. 3 BHK Flats & 8No. 2 BHK Flats with Parking Floor etc.)	035GT02230750010 dated 16.03.2023 HDFC Sundernagar **Page No. 1 Sr. No. 3/10**	2893203	**31.08.2024**
2.	M/s Himachal Techno Engineers	PSFS at Hamirpur (C/o 12 No. Cat-1 Flats with parking floor I/c internal & external WS &SI)	5012323BG0000008 dated 29.03.2023 SBI Hamirpur **Page No. 1 Sr. No. 4**	3096069	28.09.2024
3.	Sh. Rakesh Kumar	C/o Science Block at Kaphora, Distt. Mandi (Balance Work)	FDR No. 226315 dated 23.06.2023 Canara Bank, Ghumarwin **Page No. 1 Sr. No. 6**	613523	09.09.2024
			Total	**66,02,795**	

Additional Performance Guarantees के रूप में ली गई Bank Guarantees /FDRs जिनकी परिपक्वता अवधि समाप्त हो चुकी थी

Sr. No.	Name of Contractor	Name of Work	Ref. No. of Bank Guarantee / FDR a/w Page / Sr. No. Number of the concerned Register	Amount (₹)	Expired on
1	M/s KDN Infra (P) Ltd.	PSFS, Dhaundi (C/o 8No. 3 BHK Flats & 8No. 2 BHK Flats with Parking Floor etc.)	035GT0230800011 dated 21.03.2023 HDFC Sundernagar **Page No. 5 Sr. No. 17**	1063743	31.08.2024
2.	M/s Himachal Techno Engineers	PSFS at Hamirpur (C/o 12 No. Cat-1 Flats with parking floor I/c internal & external WS &SI)	5012323BG0000007 dated 29.03.2023 SBI Hamirpur **Page No. 2 Sr. No. 5**	1195125	28.09.2024
3.	M/s Himachal Techno	C/o 2 No. T-IV Staff Quarters for Animal Husbandry Department at Hamirpur	5012323BG0000013 dated 28.08.2023 SBI Hamirpur **Page No. 3 Sr. No. 7**	345200	27.08.2024
4	Sh. Pawan Kumar	C/o Housing Colony at Rajwari, The. Balh, District Mandi	FDR No. 85231903462 dated 06.09.2023 **SBI, Barmana** **Page No. 3 Sr. No. 8**	300000	06.09.2024
5	Sh. Saunik Kumara Shukla	GSSS, Bahna Jattan, District Bilaspur (SH: c/o Classrooms)	FDR No. 18448430 dated 13.09.2023 **ICICI Bank, Bilaspur** **Page No. 3 Sr. No. 9**	195000	13.12.2024
			Total	**30,99,068**	

अत: प्रतीत होता है कि मण्डल स्तर पर समय-समय पर इन अभिलेखो की समीक्षा नहीं की जा रही है जोकि अनियमित है जबकि अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित पंजी में दर्ज की गई प्रविष्टियां भी किसी पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं पाई गई । अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 9 दिनांक 17.02.2025. के माध्यम से अधिशासी अभियंता को इस बारे अवगत करवा दिया गया था तथा उन्होंने चर्चा के दौरान इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे आश्वस्त किया। अत: अब आश्वासन अनुसार सभी परिपक्व हो चुकी **Bank Guarantees /FDRs** का नवीनीकरण करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में संस्था के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु समय-समय पर समीक्षा की जानी भी सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित पंजी में दर्ज की गई प्रविष्टियां भी पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी भी सुनिश्चित की जाएँ ।

13. निर्माण कार्य :

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में निम्न अनियमिततायें पाई गई जिस बारे निर्माण कार्य-वार चर्चा निम्न अनुसार की जा रही है :

13 (1) संविदाकार से राशि ₹23916/-की वसूली न करने बारे।

13(1) **Name of Work**	C/o 8 Nos. 3 BHK and 8 Nos. 2 BHK at PSFS Daundhi, Distt. Mandi (SH: Demolition & dismantling of existing structure i.e. chowkidar room and cement store)		
Agreement No.	13 of 2023-24	**Voucher No.**	**18**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2022/8025-36 dated 15.03.2023 for Rs. 98871.46 {3.42% below}		
MB No.	1839	**BILL AMOUNT**	99723.26
Running Bill No.	Ist R/bill		
Name of Contractor	Sh. Pankaj Kumar (SNR)		

1.अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या -1839 के पृष्ठ संख्या -7 पर दर्ज प्रविष्टि सहपठित कार्यस्थल सामग्री रजिस्टर (MAS) के पृष्ठ संख्या -32 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार कार्य स्थल पर **Demolition & dismantling** के कार्य उपरांत **परिशिष्ट -6** में दिए गए विवरण अनुसार ₹23916 की अनुपयोगी सामग्री संविदाकार को निर्गमित की गई दर्शायी गई थी, परंतु हिमुडा मण्डल, मण्डी स्तर पर प्रथम चलत बिल का भुगतान करते समय उक्त राशि की वसूली किये बिना ही भुगतान जारी कर दिया गया जबकि माप पुस्तिका में कनिष्ठ अभियंता स्तर पर इस सम्बन्ध में कटौती की प्रविष्टि दर्ज़ की गई थी जो की बाद में काट दी गई थी। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹23916 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से इस राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 (2)(1) संविदाकार को सम्भावित ₹43152/- का अनुचित लाभ पहुँचाने बारे :-

13(2) **Name of Work**	**C/O Kalyan Bhawan at Mandi Distt. Mandi**		
Agreement No.	12 of 2015-16	**Voucher No.**	**36**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2014-6315-24 dated 24.02.2015		
MB No.	1580,1602	**BILL AMOUNT**	95872.00
Running Bill No.	8th & Final bill		
Name of Contractor	Sh. Pankaj Gupta	**Date of closure of work : 22.09.2017**	

1.अंकेक्षण के दौरान उक्त वाउचर के साथ संलग्न **सीमेंट निर्गमण विवरणी** अनुसार तथा सहपठित संविदाकार खाता बही (Contractor Ledger) के पृष्ठ 124 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार संविदाकार द्वारा 93 सीमेंट के बैग GR संख्या 5804 दिनांक 22.03.2018 द्वारा भण्डार को वापिस लौटाए गए दर्शाए गए थे और तदनुसार बिन कार्ड संख्या 442 में भंडार में प्राप्ति भी दर्ज की गई थी। परन्तु यह कार्य दिनांक 22.09.2017 को समाप्त हो चुका था तथा **सीमेंट निर्गमण विवरणी** अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु अंतिम बार 130 बैग सीमेंट मांगपत्र (indent) संख्या 12107 दिनांक 24.09.2016 द्वारा जारी किये गए थे | क्योंकि सीमेंट तीन मास के अन्तराल के उपरांत उपयोग योग्य नहीं रहता इसलिए भंडार को सीमेंट लौटाए जाने की उक्त प्रविष्टि अंतिम जारी सीमेंट की तिथि से 18 महीने से अधिक समय के बाद की होने के कारण फर्जी प्रतीत होती | अत: संविदाकार को अनुचित लाभ पहुँचाने का एक प्रयास किया गया प्रतीत होता है चूंकि अनुबंध के Clause 42 (ii) के अंतर्गत प्रावधान अनुसार संविदाकार द्वारा उपभोग के उपरांत शेष बचे सीमेंट को वापिस न लोटाने की स्थिति में निर्गमन दर से दोगुनी दर से वसूली की जानी अपेक्षित थी । परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 43152 {93 x ₹232 (निर्गमन दर) x 2} का अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति सम्बन्धित कर्मचारी के स्पष्टीकरण सहित अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करते हुए संविदाकार से इस राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13(2)(2) रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप राशि 29548/-की हानि:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की जा रही थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के न तो बिल वाउचर के साथ संलग्न पाए गये तथा न ही कोई एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म ही संलग्न पाये गये जबकि नियम अनुसार प्रत्येक चलत बिल के साथ **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** तैयार की जानी अपेक्षित थी तथा साथ ही इसके विरूद्ध जितनी मात्रा के एम/डब्ल्यू/एक्स फार्म संविदाकार द्वारा मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत किये गये का उल्लेख करना तथा प्रतेयक चलत बिल के साथ इस बारे सूचना अद्यतित करना भी वांछित था जो कि नहीं किया गया | उक्त सूचना व् अभिलेख के अभाव में **अंकेक्षण के स्तर पर यह पुष्टि न हो सकी** कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संपूर्ण प्रयुक्त निर्माण सामग्री के एम्. फार्म प्राप्त होने पर ही संविदाकार को भुगतान किया जा रहा था अथवा नहीं। साथ

ही क्योंकि यह अनुबंध 2022 से पूर्व का प्रसंग है एम/डब्ल्यू/एक्स फार्म की अनुपस्थिति में संविदाकार से अनुबंध के Clause 46 के अंतर्गत प्रावधान अनुसार **परिशिष्ट-7** में अंकेक्षण स्तर पर की गई गणना अनुसार ₹ 29548 की रॉयल्टी की कटौती भी की जानी अपेक्षित थी क्योंकि यह आबंटन फरवरी, 2022 से पूर्व का प्रसंग था। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी वसूली नही की गई तथा इस प्रकार संविदाकार की अनियमित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है । अत: अब इस बारे या तो अभिलेख सहित वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा खनन विभाग से पूर्व परामर्श कर अंतिम कार्रवाई करते हुए तथा भविष्य में नियमानुसार / वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए ही अभिलेख संधारण सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13(3) Name of Work	**C/o Additional rooms for Excise And Taxation Department at Bilaspur, Distt. Bilaspur.**		
Agreement No.	34 of 2023-24	**Voucher No.**	**38**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2023-7895-7907 dated 09.03.2023 for ₹4078350.60 (10.71% beow amount put to tender)		
MB No.	1949,1707	**BILL AMOUNT**	2007778.52
Running Bill No.	Ist R/bill		
Name of Contractor	Sh. Ashish Dhillon		

13 (3) (1) प्रयुक्त की गई सामग्री के एवज में फार्म एम/एक्स/डब्ल्यू प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल भी वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये।अंकेक्षण स्तर पर की गई गणना अनुसार इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 199.65 मीट्रिक टन सामग्री { 67.33 मीट्रिक टन रेत,121.59 मीट्रिक टन बजरी और 10.73 मीट्रिक टन पत्थर } की थ्योरेटिकल खपत हुई थी जिसके विरुद्ध केवल 155 मीट्रिक टन क्रशर सामग्री के लिए एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म ही वाउचर के सलंग्न पाए गए | इस प्रकार हिमुडा मण्डल, मण्डी द्वारा निर्माण सामग्री की पूर्ण खपत मात्रा से कम के एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म प्रस्तुत किये जाने पर ही अनियमित रूप से संविदाकार को भुगतान जारी कर दिया गया जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवेहलना है | अत: इस बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित स्पष्ट की जाये जबकि मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु भी लाया जाता है।

Sr. No.	Item	Quantity Executed	Consumption factor			Theoretical Consumption of Material in M^3		
			Sand	Agg.	Stone	Sand	Agg.	Stone
1	P/L CC 1:4:8	8.90M^3	0.47	0.89		4.18	7.92	
2	P/L CC 1:6:12	7.42M^3	0.47	0.89		3.49	6.60	
3	P/L CC M-20 (factors for 1:1:5:3 considered)	77.56M^3	0.425	0.85		32.96	65.92	
4	RR Masory CM : 1:6	41.13M^3	0.353	0.60	1.16	1.45	2.84	4.79
					Total	**42.08**	**83.28**	**4.79**
Factors for conversion from M^3 to weight in Metric Tonnes						1.60	1.46	2.24
Weight in Metric Tonnes						**67.33**	**121.59**	**10.73**
Total weight						**199.65MT**		

13 (3) (2) गलत गणना के कारण संविदाकार को राशि ₹1631/- का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका संख्या 1707 के पृष्ठ 62 पर मद संख्या 4.02 i.e Form Work for Flat surface etc. की रिकॉर्ड प्रविष्टि के अनुसार, स्लैब के कार्य हेतु कनिष्ठ अभियंता स्तर पर दर्ज़ प्रविष्टि 1x7.55x0.60=4.53 m^2 को सहायक अभियंता द्वारा नमूना जांच के दौरान काट दिया गया था और सही प्रविष्टि उसके नीचे दर्ज की गई थी, लेकिन बिल के भुगतान के समय हिमुडा मण्डल कार्यालय स्तर पर दोनों प्रविष्टियों को कुल योग में शामिल कर लिया गया और 45.13M^2 की सही निष्पादित मात्रा के स्थान पर 49.66M^2 की मात्रा की प्रविष्टि सारांश प्रविष्टि में माप पुस्तिका संख्या 1949 के पृष्ठ संख्या 4 पर दर्ज कर दी गई और तदनुसार ₹360 /M^2 की दर से संविदाकार को भुगतान भी कर दिया गया। इस प्रकार संविदाकार को ₹1631.00 (4.53 {49.66-45.13} x 360) का अधिक अनियमित भुगतान कर दिया गया जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से इस राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13(4) Name of Work	**PSFS Hamirpur HP (SH: C/o 12 Nos. Cat-I Flats, Block No. 8 & 9)**		
Agreement No.	9 of 2023-24	**Voucher No.**	**51**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28-2023-8505-17 dated 31.03.2023 for ₹6,19,21,373.53 {17.59%}		
MB No.	1854,1849,1776,1937,1935	**BILL AMOUNT**	6767525.00
Running Bill No.	6 th R/Bill		
Name of Contractor	Sh. Vijay Chauhan (M/S Himachal Techno Engineers)		

13(4) (1) संविदाकार को राशि ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 12 अनुसार, अत्यधिक उच्च दर वाली मदों (Absurdly High Rate Items अर्थात वे मदें जिनके लिए संविदाकार द्वारा न्यायोचित दर से 25% अधिक की दर निविदा में भरी गई थी) के सम्बन्ध में हिमुडा के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान किया गया था कि निर्माण के दौरान ऐसी मदों के निष्पादन पर आबंटित मात्रा तक निविदा दर अनुसार तथा तत्पश्चात अर्थात आबंटित मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा, यदि कोई हो, का भुगतान न्यायोचित दर पर किया जायेगा क्योंकि निर्माण कार्य का कुल आबंटन मूल्य न्यायोचित दर पर आधारित कुल मूल्य से कम था जिसके दृष्टिगत इन मदों के सम्बन्ध में कोई मोल भाव (negotiation) भी नहीं किया गया था। परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि संविदाकार को आबंटित मात्रा से अधिक मात्रा के निष्पादन पर भी निवेदित दरों पर ही पूर्ण भुगतान कर दिया गया तथा परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹6957.67 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। यद्यपि यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त शर्त संख्या के साथ अत्यधिक उच्च दर वाली मदों की मद संख्या आबंटन पत्र में उद्धरित नहीं की गई थी तथा निम्न तालिका में वर्णित मदों के अतिरिक्त भी ऐसी मदें पाई गई जिनके सम्बन्ध में यदि विशेष ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में अधिक अनियमित भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। निम्न तालिका के क्रम संख्या 1 में दर्शायी गई मद का उल्लेख भी इसी उद्देश्य से किया गया है जिसमे केवल आंशिक दर से भुगतान किये जाने के कारण ही अधिक भुगतान अभी तो नहीं हुआ है तथा विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है।

Item No.	Nomenclature of Item	Executed Quantity as per MB-1854 P-68	Awarded Quantity	Quantity beyond Awarded Quantity
1.	Cutting in earthwork	10818.84 M^3	10484.92 M^3	333.92 M^3
	Rate paid (Part Rate)/ Rate due	435(Rs. 430)	435	290
	Amount which could have been paid at Full Rate{ paid at Part rate} / amount due	**4706195.40 'A' {4652101.20}- 'B'**	**4560940.20 'C'**	**96836.80 'D'**
	Amount Due		**4657777.00 {'C'+'D'}= 'E'**	
	Amount which could have been overpaid had payment been made at full rates (margin available due to part rate)	**'A' - 'E' ('B' -'E')**	**₹48418.40 (- ₹5675.80)**	

Item No.	Nomenclature of Item	Executed Quantity asper MB-1854 P-73	Awarded Quantity	Quantity beyond Awarded Quantity
14.01	**Centering and shuttering in Foundation, footings, bases of columns, etc for mass concrete**	**268.71M²**	**177.76 M²**	**90.95 M²**
	Rate paid / Rate due	325	325	248.50
	Amount paid / amount due	**87330.75 'A'**	**57772 'B'**	**22601.08'C'**
	Amount Due		**80373.08 {'B' +'C'} = 'D**	
	Amount overpaid	**'A' - 'D'**	**Rs. 6957.67**	

13(4)(2) गलत गणना के कारण संविदाकार को राशि ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका संख्या 1937 के पृष्ठ संख्या 10 पर स्थानापन्न मद संख्या 1.02 i.e. P/L Cement Concrete 1:1:5:3 (with M-25 strength) की निष्पादित मात्रा 26.17 m^3 को माप पुस्तिका संख्या -1854 के पृष्ठ संख्या 72 पर दर्ज़ सारांश प्रविष्टि में 28.17 m^3 अर्थात त्रुटिवश 2m^3 अधिक दर्ज कर दिया गया परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹16200 { 2 x ₹8100 (Part Rate} का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13 (4) (3) सरिये की गलत गणना के फलस्वरूप राशि ₹899/- का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका संख्या- 1935 के पृष्ठ संख्या 51 पर दर्ज प्रविष्टि अनुसार 12 mm Dia स्टील की एक प्रविष्टि में निष्पादित लेंथ 10x1=10 rmt. को गुणा करने पर त्रुटिवश 20 rmt. अर्थात 10 rmt. अधिक दर्ज कर दिया गया परिणामस्वरूप संविदाकार को मद संख्या 15 i.e. Steel Reinforcement. के अंतर्गत ₹ 899 (10x0.89 x ₹101 Per Kg) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13 (4) (4) गलत गणना के फलस्वरूप संविदाकार को राशि ₹528/- का अधिक भुगतान :-

मद संख्या 8 : P/L Cement Concrete 1:5:10 के अंतर्गत माप पुस्तिका संख्या-1849 के पृष्ठ संख्या 27 पर दर्ज प्रविष्टि अनुसार **Part–V** पर निष्पादित मात्रा की एक प्रविष्टि में डंगे की चौड़ाई 1.50 मीटर दर्ज़ की गई थी जबकि माप पुस्तिका संख्या-1849 के पृष्ठ संख्या 24 में मद संख्या 2 i.e. Earthwork in excavation in foundation के सम्बन्ध में दर्ज प्रविष्टि अनुसार Part-V के इस भाग में किये गये खुदाई के कार्य में चौड़ाई केवल 1.35 मीटर ही दर्ज़ थी | इस प्रकार खुदाई की तुलना में डंगे की चौड़ाई 0.15 मीटर अधिक दर्ज़ की गई थी जो कि उचित प्रतीत नहीं होता ।

परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दर्शाई गई गणना अनुसार संविदाकार को ₹528 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Item No.	Nomenclature of item	Entry as per MB of Part 5 (1st Stretch)		Entry as per Audit in view of width of excavation done	Excess paid (₹)
8	P/L 1:5:10 Cement Concrete	1x8x**1.50**x0.10=1.20 M^3		1x8x**1.35**x0.10=1.08M^3	528 {Rs.4400x 0.12(1.20-1.08)}

13 (4) (5) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना प्रतिस्थापित मदों पर राशि ₹39.34 लाख का अनियमित भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कार्य स्थल पर आबंटन के विरुद्ध कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं था परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट- 8** में दर्ज़ विवरण अनुसार इस निर्माण कार्य के अंतर्गत 6वें चलत बिल तक ₹3934193 की राशि की प्रतिस्थापन मदों (Substitute Item) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निष्पादित किया जा चुका था जो कि अनियमित है । अत: अब निष्पादित प्रतिस्थापन मदों (Substitute Item) के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13 (4)(6) फार्म एम/डब्ल्यू अथवा एक्स उचित रूप में न पाए जाने बारे :-

इस निर्माण कार्य के वाउचर के साथ संलग्न एम/एक्स/डब्ल्यू -फार्म की विस्तृत पड़ताल पर पाया गया कि यह फार्म केवल औपचारिकता मात्र ही एकत्र किए गए थे क्योंकि एम/एक्स/डब्ल्यू-फार्म में कार्य स्थल (Location of work) स्तम्भ के विरुद्ध **"h, Sajau, Saju, HP, Longani, Uttpur"** इंगित किया गया था जबकि वास्तविक कार्य स्थल हमीरपुर था। वहीं दूसरी ओर अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि एक्स-फॉर्म संख्या 1402247741685 दिनांक 27.12.023, 0424217755290 दिनांक 28.12.2023, संख्या 4410227751207 दिनांक 28.12.2023, संख्या 4220147792478 दिनांक 02.01.2024, 4120427805377 दिनांक 04.01.2024 जिसमे प्रत्येक में 9 मीट्रिक टन क्रेशर सामग्री कार्य स्थल हेतु लाई गई थी, की दो-दो प्रतियां संलग्न पाई गई तथा मण्डल कार्यालय मण्डी द्वारा अनियमित रूप से दोनों ही प्रतियों को यथावत स्वीकार कर लिया गया तथा संविदाकार को भुगतान भी जारी कर दिया गया जो कि अनियमित है । इस प्रकार हिमुडा

मण्डल, मण्डी द्वारा निर्माण सामग्री की पूर्ण खपत मात्रा से कम के एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म प्रस्तुत किये जाने पर ही अनियमित रूप से संविदाकार को भुगतान जारी कर दिया गया प्रतीत होता है जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवेहलना है। अत: इस बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित स्पष्ट की जाये जबकि मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु भी लाया जाता है।

13(5) Name of Work	**C/o 20 bedded female barrack at Sub Jail Nerchowk, Mandi H.P.**		
Agreement No.	17 of 2023-24	**Voucher No.**	**65**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2023/7803-14 dated 03.03.2023 for ₹12807345.45 {10.95% below amount put to tender}		
MB No.	1916,1914,1915	**BILL AMOUNT**	3692987.00
Running Bill No.	2nd R/bill		
Name of Contractor	Sh Naresh Kumar		

13(5)(1) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बगैर राशि ₹16.88 लाख की प्रतिस्थापित मदों का भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कार्य स्थल पर आबंटन के विरुद्ध कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं था परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट- 8** में दर्ज़ विवरण अनुसार इस निर्माण कार्य के अंतर्गत दूसरे चलत बिल तक ₹1687751 की राशि की प्रतिस्थापन मदों (Substitute Item) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निष्पादित किया जा चूका था जो कि अनियमित है | अत: अब निष्पादित प्रतिस्थापन मदों (Substitute Items) के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 (5) (2) प्रयोग में लाई गई सामग्री के समर्थन में फार्म एम/डब्ल्यू अथवा एक्स फार्म प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल इस वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये। अंकेक्षण स्तर पर की गई गणना अनुसार इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार 666.20 मीट्रिक टन सामग्री { 236.16 मीट्रिक

टन रेत, 351.02 मीट्रिक टन बजरी और 79.02 मीट्रिक टन पत्थर) की थ्योरेटिकल खपत हुई थी जिसके विरुद्ध कोई भी एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म वाउचर के साथ सलंग्न नहीं पाए गए तथा न ही अंकेक्षण के दौरान मांगे जाने पर उपलब्ध करवाए गए। अत: प्रतीत होता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवेहलना करते हुए मण्डल कार्यालय स्तर पर संविदाकार से एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म एकत्र किये बिना ही संविदाकार को भुगतान जारी कर दिया गया जो कि अनियमित है। अत: इस बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित स्पष्ट की जाये जबकि मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु भी लाया जाता है।

Sr. No.	Item	Quantity Executed	Consumption factor			Theoretical Consumption of Material in M^3		
			Sand	Agg.	Stone	Sand	Agg.	Stone
1	P/L CC 1:4:8	22.56 M^3	0.47	0.89		10.60	20.07	
2	P/L CC 1:6:12	18.83 M^3	0.47	0.89		8.85	16.75	
3	Brick work in in SS 1:6	97.93 M^3	0.257			25.16		
4	Half Brick work in SS in 1:4	34.97 M^2	0.030			1.04		
5	RR Masory CM : 1:6	30.42M^3	0.35	0.69	1.16	10.64	20.98	35.28
6	P/L CC M-25 (factors for 1:1:5:3 considered) (97.22+117.65)	214.87 M^3	0.425	0.85		91.31	182.63	
Total						**147.60**	**240.43**	**35.28**
Factors for conversion from M^3 to weight in Metric Tonnes						1.60	1.46	2.24
Wight in Metric Tonnes						**236.16**	**351.02**	**79.02**
Total weight						**666.20 MT**		

13 (5) (3) गलत गणना के फलस्वरूप राशि ₹869/- का अधिक भुगतान :-

मद संख्या SI 2.02 : P/L Mechanically Mixed and vibrated Design Mix M-25 above Plinth upto Floor-V : Beams for Slab at 2nd Floor के अंतर्गत माप पुस्तिका संख्या -1914 के पृष्ठ संख्या 17 (read with Abstract entry at Page 09 of MB N0. 1916) में दर्ज प्रविष्टि के अंतर्गत गणना में पाई गई गुणा की त्रुटि के कारण निम्न तालिका में दर्ज विवरण अनुसार संविदाकार को ₹869 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण

को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Item No.	Nomenclature of item	Entry as per MB for Beams for Slab at 2nd Floor	Entry as per Audit in view of width of excavation done	Excess paid (₹)
SI 2:02	P/L Mechanically Mixed and vibrated Design Mix M-25	2x1x2.75x0.30x0.45=**0.85**M^3	2x1x2.75x0.30x0.45=**0.74**M^3	869 (Rs.7900x 0.11{0.85-0.74})

13 (5) (4) गलत गणना के फलस्वरूप राशि ₹949/- का अधिक भुगतान :-

मद संख्या 9: P/L TMT/Steel के अंतर्गत माप पुस्तिका संख्या-1915 के पृष्ठ संख्या 20 (read with abstract entry at page-8 of MB-1916) में दर्ज 20 mm tor steel की एक लेंथ की प्रविष्टि जिसका माप 1x1.98 दर्ज़ किया गया था को गुणा करने पर 1.98 rmt. के स्थान पर 5.94 rmt. अर्थात 3.96 rmt. (5.94rmt. less 1.98 rmt.)अधिक दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹ 949 (3.96x2.47 x ₹ 97 per/Kg) का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13(6) Name of Work	**PSFS at Dhaundi, Distt.-Mandi,HP (SH: C.o 8Nos. 3 BHK flats and 8 Nos. 2BHK flats with parking floor)**		
Agreement No.	14 of 2023-24	**Voucher No.**	70
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28 /2023-8234-46 dated 22.03.2023 Rs. 57864066.65 {18.26% below}		
MB No.	1835,1917	**BILL AMOUNT**	5638723.00
Running Bill No.	6th R/bill		
Name of Contractor	Sh. Komal Verma, M/s KDN Infarstructure Pvt. Ltd.		

13 (6) (1) राशि ₹3.55 लाख का संविदाकार को अनियमित भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 12 अनुसार, अत्यधिक उच्च दर वाली मदों (Absurdly High Rate Items अर्थात वे मदें जिनके लिए संविदाकार द्वारा NIT / न्यायोचित दर से 25% अधिक की दर निविदा में भरी गई थी) के सम्बन्ध में हिमुडा के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान किया गया था कि निर्माण के दौरान ऐसी मदों के निष्पादन पर आबंटित मात्रा तक निविदा दर अनुसार तथा तत्पश्चात अर्थात आबंटित मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा, यदि कोई हो, का भुगतान NIT / न्यायोचित दर पर किया जायेगा क्योंकि निर्माण कार्य का कुल आबंटन मूल्य न्यायोचित दर पर आधारित कुल

मूल्य से कम था जिसके दृष्टिगत इन मदों के सम्बन्ध में कोई मोल भाव (negotiation) भी नहीं किया गया था | परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि संविदाकार को आबंटित मात्रा से अधिक मात्रा के निष्पादन पर भी निवेदित दरों पर ही पूर्ण भुगतान कर दिया गया तथा परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹355229.29 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। यद्यपि यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त शर्त संख्या के साथ अत्यधिक उच्च दर वाली मदों की मद संख्या आबंटन पत्र में उद्धरित नहीं की गई थी तथा निम्न तालिका में वर्णित मदों के अतिरिक्त भी ऐसी मदें पाई गई जिनके सम्बन्ध में यदि विशेष ध्यान नहीं रखा गया तो भविष्य में अधिक अनियमित भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

Item No.	Nomenclature of Item	Executed Quantity as per MB 1835 P-93	Awarded Quantity	Quantity beyond Awarded Quantity
3.	Earth work in excavation by Mechanical Means/ manual means over areas (exceeding 30cms in departh, 1.5 M in width as well as 10 sq. Mtrs. On plan) including getting out and disposal of excavated earth upto all leads and lifts...	4063.08 M^3	189.26M^3	3873.82 M^3
	Rate paid / Rate due	Rs. 250	250	158.30
	Amount which could have been paid at Full Rate{ paid at Part rate} / amount due	1015770 'A'	47315.00'B'	613225.71 'C'
	Amount Due		660540.71 {'B'+'C'}= 'D'	
	Amount overpaid	'A' - 'D'	(₹) 355229.29	

13 (6) (2) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना राशि ₹99.51 लाख की प्रतिस्थापित मदों का भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कार्य स्थल पर आबंटन के विरुद्ध कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं था परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-8** में दर्ज़ विवरण अनुसार इस निर्माण कार्य के अंतर्गत छठे चलत बिल तक ₹ **9951191.50** की राशि की प्रतिस्थापन मदों (Substitute Item) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निष्पादित किया जा चुका था जो कि अनियमित है | अत: अब निष्पादित प्रतिस्थापन मदों (Substitute Items) के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 (6)(3) प्रयोग की गई शुद्र सामग्री के समर्थन में फार्म एम/डब्ल्यू या एक्स उपलब्ध न करवाना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल इस वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये। अंकेक्षण स्तर पर की गई गणना अनुसार इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार 3189.49 MT सामग्री {**1184.75** मीट्रिक टन रेत और **2004.74** मीट्रिक टन बजरी } की थ्योरेटिकल खपत हुई थी जिसके विरुद्ध कोई भी एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म वाउचर के साथ सलंग्न नहीं पाए गए तथा न ही अंकेक्षण के दौरान मांगे जाने पर उपलब्ध करवाए गए। अत: प्रतीत होता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की अवेहलना करते हुए मण्डल कार्यालय स्तर पर संविदाकार से एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म एकत्र किये बिना ही संविदाकार को भुगतान जारी कर दिया गया जोकि अनियमित है। अत: इस बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित स्पष्ट की जाये जबकि मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु भी लाया जाता है।

Sr. No.	Item	Quantity Executed	Consumption factor			Theoretical Consumption of Material in M^3		
			Sand	Agg.		Sand	Agg.	
1	P/L CC 1:4:8	126.22M^3	0.47	0.89		59.32	112.33	
2	P/L CC 1:5:10	114.70M^3	0.47	0.89		53.91	102.08	
3	P/L CC M-25 (factors for 1:1:5:3 considered) (874.41+488.26)	1362.67M^3	0.425	0.85		579.13	1158.70	
4	Brick work in in 1:6	106.11M^3	0.257			27.27		
5	Half Brick work in 1:4	694.69M2	0.030			20.84		
Total						**740.47**	**1373.11**	
Factors for conversion from M^3 to weight in Metric Tonnes						1.60	1.46	
Weight in Metric Tonnes						**1184.75**	**2004.74**	
Total weight							**3189.49 MT**	

13 (7) Name of Work	C/o Directorate of Police communication and technical service centre at Mandi at Mandal (Bhangrotu) Tehsil Balh Distt. Mandi (SH: C/o Admn Block)		
Agreement No.	4 of 2021-22	**Voucher No.**	**72**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2020-6800-12 dated 03.03.2021 for ₹37325908.27 (**Annexure A** – ₹36456195.05 {25.39% above amount put to tender), (**Annexure B** – ₹869713.22 {41.76 % above amount put to tender),		
MB No.	1905,1918,1843	**BILL AMOUNT**	1633292.00
Running Bill No.	14th R/bil		
Name of Contractor	Sh. Pankaj Gupta		

13 (7) (1) माप पुस्तिका 1905 के पृष्ठ संख्या 61 पर दर्ज़ सारांश प्रविष्टि अनुसार मद संख्या 1 : मिटटी की कटाई की मात्रा 6876.25 M^3 दर्शायी गई थी परन्तु मान्य सिद्धांतों अनुसार न तो quarried stone हेतु निष्पादित मात्रा के 10% के बराबर की राशि की कटौती संविदाकार को देय भुगतान से की गई थी तथा न ही quarried stone की प्रविष्टि **कार्य स्थल सामग्री पंजिका (**MAS) में ही दर्ज़ की गई थी | इस प्रकार निम्न तालिका में दर्ज़ विवरण अनुसार संविदाकार को ₹ 361962 रुपये का अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Volume of earth cut/ excavated during Cutting	10% of the amount of earth cut / excavated	Recovery rate (₹)	Amount due for recovery (₹)
6876.25 M^3	687.63 M^3	526.39	361962

13 (7) (2) उपरोक्त के अतिरिक्त Quarried stone हेतु निम्न तालिका में दर्शाई गणना अनुसार ₹92417 की रॉयल्टी भी राशि की कटौती संविदाकार को देय भुगतान से कर राजकीय कोष में जमा करवाई जानी भी अपेक्षित थी परन्तु नहीं की गई | इस प्रकार संविदाकार को ₹ 92417 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Volume of earth cut/ excavated during Cutting	10% of the amount of earth cut / excavated	Weight of quarried stone @ 2.24 MT per M^3	Rate of Royalty per MT (₹)	Amount due for recovery on account of Royalty (₹)
6876.25 M^3	687.63 M^3	1540.29 MT	60 (being award of prior to Feb, 2022)	92417

13 (7) (3) आबंटित दर से अधिक दर पर भुगतान करने के फलस्वरूप ₹0.45 लाख का अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका 1905 के पृष्ठ संख्या 73 सहपठित वाउचर के साथ सलंगित Schedule of Quantity में दर्ज़ मदवार दरों का अनुबंध अनुसार आबंटित दरों से मिलान करने पर पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित मदों के सम्बन्ध में संविदाकार को आबंटित दरों से अधिक दर से भुगतान कर ₹45000 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Item No.	Nomenclature of Item	Quantity executed	Rate paid	Amount paid	Awarded Rate	Amount due	Amount overpaid
			(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
36.02	P/f Oxidised Aluminium Handles with necessary screw.. 100MM i/c carriage	450No.	85	38250	65	29250	9000
37	P/f oxidised MS Hooks & eyes i/c carriage 150MM	225No.	200	45000	40	9000	36000
	Total			**83250**		**38250**	**45000**

13 (7) (4) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर राशि ₹38.98 लाख का प्रतिस्थापित/अतिरिक्त मदों पर अनियमित भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कार्य स्थल पर आबंटन के विरुद्ध कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं था परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-8** में दर्ज़ विवरण अनुसार इस निर्माण कार्य के अंतर्गत 14वें चलत बिल तक ₹ 3225936.08 की राशि की प्रतिस्थापन मदों (Substitute Item) तथा ₹ 671647.52 की अतिरिक्त मदों (Extra Item)को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निष्पादित किया जा चुका था जो कि अनियमित है | अत: अब निष्पादित प्रतिस्थापन एवं अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13 (7) (5) प्रयोग की गई शुद्र सामग्री के समर्थन में फार्म एम/डब्ल्यू अथवा एक्स प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर

पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल व् एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म इस वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये। अत: प्रतीत होता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवेहलना करते हुए मण्डल कार्यालय स्तर पर संविदाकार से एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म एकत्र किये बिना ही संविदाकार को भुगतान जारी कर दिया गया जो कि अनियमित है | अत: इस बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित स्पष्ट की जाये जबकि मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु भी लाया जाता है |

13 (7) (6) आबंटन पत्र अनुसार यह निर्माण कार्य दिनांक 16.03.2022 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के समाप्त होने की तिथि तक जारी था तथा संविदाकार के पक्ष में दिए गये कोई समय विस्तार बारे अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही अनुबंध के Clause-2 में निहित प्रावधान अनुसार संविदाकार पर कोई दंड राशि ही अधिरोपित की गई थी | अत: इस बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित स्पष्ट की जाये तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर अन्यथा Clause-2 में निहित प्रावधान अनुसार संविदाकार पर दंड राशि अधिरोपन उपरांत आवश्यक वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

13(8) **Name of Work**	**GDC at Ghumarwin, Distt.-Bilaspur HP (SH: P/L CC paver block for path from fee collection shed to solar power plant)**		
Agreement No.	35 of 2023-24	**Voucher No.**	**81**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28 /2024-6013-24 dated 29.01.2024 for ₹485700{2.27% below}		
MB No.	1932	**BILL AMOUNT**	₹533393.90
Running Bill No.	Ist & final bill		
Name of Contractor	Sh. Jeevan Kumar		

13 (8) (1) प्रतिभूति (Security) की राशि ₹16730/- की कटौती न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुबंध के Clause 11(ii) में निहित प्रावधान अनुसार संविदाकार को देय भुगतान से ₹16730 {₹26670 (₹533393.90 x5%) less ₹9940 EMD} की राशि की बतौर प्रतिभूति कटौती की जानी अपेक्षित थी जो कि नहीं की गई तथा इस प्रकार हिमुडा के वित्तीय हितों की समुचित सुरक्षा नहीं की गई जो कि अनियमित है। अत: अब इस बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये तथा साथ ही सम्बन्धित को इस बारे समुचित निर्देश जारी कर भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13(9) Name of Work	**C/o 2 Nos. Type-IV staff quarter at Animal Husbandry Department Hamirpur.**		
Agreement No.	37 of 2023-24	**Voucher No.**	**85**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W/28/2023-3058-70 dated 29.08.2023 for ₹8620716.17 (20.60% below amount put to tender)		
MB No.	1939,1938,1717	**BILL AMOUNT**	2099669.21
Running Bill No.	1st R/bill		
Name of Contractor	Sh. Vijay Chauhan (M/S Himachal Techno Engineers)		

13 (9) (1) शुद्र सामग्री के समर्थन में फार्म डब्ल्यू/एक्स उचित रूप से प्रस्तुत न पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल भी वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये। अंकेक्षण स्तर पर की गई गणना अनुसार इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 323.67 MT of material {Sand 116.59 MT and Aggregate: 207.08 MT} की थ्योरेटिकल खपत हुई थी जिसके विरुद्ध 370 मीट्रिक टन क्रशर सामग्री के लिए एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म वाउचर के साथ सलंग्न पाए गए। परन्तु वाउचर के साथ संलग्न एम/एक्स/डब्ल्यू -फार्म की विस्तृत पड़ताल पर पाया गया कि यह फार्म केवल औपचारिकता मात्र ही एकत्र किए गए थे क्योंकि **परिशिष्ट -9** में दर्ज़ विवरण अनुसार 135 मीट्रिक टन के एम/एक्स/डब्ल्यू-फार्म में कार्य स्थल {Location of work) स्तम्भ के विरुद्ध **"Uttpur"**, 29 मीट्रिक टन के एम/एक्स/डब्ल्यू -फार्म में कार्य स्थल {Location of work) स्तम्भ के विरुद्ध **"h"**, 17 मीट्रिक टन के एम/एक्स/डब्ल्यू -फार्म में कार्य स्थल {Location of work) स्तम्भ के विरुद्ध **"Longnee Dharampur"** तथा 12 मीट्रिक टन के एम/एक्स/डब्ल्यू -फार्म में कार्य स्थल {Location of work) स्तम्भ के विरुद्ध **"Sajao/Saju"** इंगित किया गया था जबकि वास्तविक कार्य स्थल हमीरपुर था। अत: प्रतीत होता है कि मण्डल कार्यालय स्तर पर एम/एक्स/डब्ल्यू -फार्म को बिना किसी पड़ताल के ही स्वीकार किया गया था| माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत उपरोक्त परिस्थितियों में संविदाकार को भुगतान करने बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित स्पष्ट की जाये जबकि मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु भी लाया जाता है।

Sr. No.	Item	Quantity Executed	Consumption factor			Theoretical Consumption of Material in M^3		
			Sand	Agg.		Sand	Agegate	
1	P/L CC 1:4:8	16.74M^3	0.47	0.89		7.86	14.89	
2	P/L CC 1:6:12	5.22M^3	0.47	0.89		2.45	4.64	
3	P/L CC 1:5:10 with Plum	70.31M^3	0.43	0.82		30.23	57.65	
4	P/L CC M-25 (factors for 1:1:5:3 cnsidered) (53.97 M^3 +22.11 M^3)	76.08	0.425	0.85		32.33	64.66	
					Total	**72.87**	**141.84**	
Factors for conversion from M^3 to weight in Metric Tonnes						1.60	1.46	
Wight in Metric Tonnes						**116.59**	**207.08**	
Total weight							**323.67**	

13 (9) (2) गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को राशि ₹9522/- का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान मद संख्या 9 : P/L CC 1:5:10 Cement concrete with 15% Plum डंगे के Part V के संबध में माप पुस्तिका 1717 के पृष्ठ संख्या 52 पर दर्ज़ प्रविष्टि में पाई गई गुणा की त्रुटी के कारण संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹ 9522 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Record Entry as per MB 1717 P-52	Record Entry as per Audit	Excess Quantity paid
1x9.20x1.00x0.700=6.44M^3 **1x9.20x(1.00+0.60)x(2.40+2.10)= 18.63M^3** **2 2**	1x9.20x1.00x0.70=6.44M^3 **1x9.20x(1.00+0.60)x(2.40+2.10)= 16.56M^3** **2 2**	2.07M^3
	Rate	₹4600/ M^3
	Amount overpaid (₹)	**9522**

13 (9) (3) मद संख्या: 15.07: Centering & Shuttering for lintels, beams etc. के निष्पादित मात्रा के सम्बन्ध में माप पुस्तिका संख्या 1939 के पृष्ठ संख्या 12 पर दर्ज़ प्रविष्टि में पाई गई गुणा की एक अन्य त्रुटी के कारण संविदाकार को निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹189 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया था जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये

अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Record Entry as per MB 1939 P-12	Record Entry as per Audit	Excess Quantity paid
2x3.385x0.45=3.46 M^2	2x3.385x0.45=3.04 M^2	0.42 M^2
	Rate	₹450/ M^2
	Amount overpaid (₹)	**189**

13(10) Name of Work	**C/o Extra Shed for existing Mushroom unit building at Sidhpur, Tehsil Dharampur, Distt- Mandi, H.P.**		
Agreement No.	40 of 2022-23	**Voucher No.**	94
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2022/4530-42 dated 24.09.20222 for ₹1,99,85,557.44 (2.22% above amount put to tender)		
MB No.	1876,1875	**BILL AMOUNT**	1323987.00
Running Bill No.	6th R/bill		
Name of Contractor	Sh. Pankaj Gupta		

13 (10) (1) प्रयोग में लाई गई शुद्र सामग्री के समर्थन में फार्म एम/डब्ल्यू या एक्स प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल इस वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये। अंकेक्षण स्तर पर की गई गणना अनुसार इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार 6ठे चलत बिल तक 1805.94 मीट्रिक टन सामग्री {661.65 मीट्रिक टन रेत तथा 1144.29 मीट्रिक टन बजरी} की थ्योरेटिकल खपत हुई थी जिसके विरुद्ध कोई भी एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म वाउचर के साथ सलंग्न नहीं पाए गए तथा न ही अंकेक्षण के दौरान मांगे जाने पर उपलब्ध करवाए गए। अत: प्रतीत होता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवेहलना करते हुए मण्डल कार्यालय स्तर पर संविदाकार से एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म एकत्र किये बिना ही संविदाकार को भुगतान जारी कर दिया गया जो कि अनियमित है । अत: इस बारे वस्तुस्थिति अंकेक्षण को ठोस

कारणों सहित स्पष्ट की जाये जबकि मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु भी लाया जाता है।

Sr. No.	Item	Quantity Executed	Consumption factor			Theoretical Consumption of Material in M^3		
			Sand	Agg.		Sand	Agg.	
I	P/L CC 1:4:8	102.43M^3	0.47	0.89		48.14	91.16	
2	P/L CC 1:5:10	78.90M^3	0.47	0.89		37.08	70.22	
3	P/L CC M-25 (factors for 1:2:4 considered)	699.31M^3	0.445	0.89		311.19	622.38	
4	Brick work in in SS 1:6	41.9M^3	0.257			10.76		
5	Half Brick work in SS in 1:4	212.06M2	0.030			6.36		
					Total	**413.53**	**783.76**	
Factors for conversion from M^3 to weight in Metric Tonnes						1.60	1.46	
Weight in Metric Tonnes						**661.65**	**1144.29**	
Total weight						**1805.94 MT**		

13 (10) (2) उच्च दर वाली मदों पर राशि ₹0.29 लाख का अनियमित भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 अनुसार, अत्यधिक उच्च दर वाली मदों (Absurdly High Rate Items अर्थात वे मदें जिनके लिए संविदाकार द्वारा NIT / न्यायोचित दर से 25% अधिक की दर निविदा में भरी गई थी) के सम्बन्ध में हिमुडा के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान किया गया था कि निर्माण के दौरान ऐसी मदों के निष्पादन पर आबंटित मात्रा तक निविदा दर अनुसार तथा तत्पश्चात अर्थात आबंटित मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा, यदि कोई हो, का भुगतान NIT / न्यायोचित दर पर किया जायेगा क्योंकि निर्माण कार्य का कुल आबंटन मूल्य न्यायोचित दर पर आधारित कुल मूल्य से कम था जिसके दृष्टिगत इन मदों के सम्बन्ध में कोई मोल भाव (negotiation) भी नहीं किया गया था। परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि संविदाकार को आबंटित मात्रा से अधिक मात्रा के निष्पादन पर भी निवेदित दरों पर ही पूर्ण भुगतान कर दिया गया तथा परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹ 28604.85 (Rs. 26921.00+1683.85) का अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Item No.	Nomenclature of Item	Executed Quantity as per MB 1876 P-35	Awarded Quantity	Quantity beyond Awarded Quantity
1.	Earth work in excavation by Mechanical Means/ manual means in foundation trenches or drains (not exceeding 1.5 M in width or 10 sq. M. on plan) I/c dressing of sides and ramming of bottoms, lift upto 1.5 M.....	1770.62 M^3	1300.80M^3	469.82 M^3
	Rate paid / Rate due	Rs. 250	250	192.70
	Amount paid / amount due	442655 'A'	325200'B'	90534 'C'
	Amount Due		415734 {'B'+'C'}= 'D'	
	Amount overpaid	**'A' - 'D'**	₹26921	
Item No.	**Nomenclature of Item**	**Executed Quantity as per MB 1876 P-36**	**Awarded Quantity**	**Quantity beyond Awarded Quantity**
5.01	Centering and shuttering in Foundations, footings etc.	85.55 M^2	62.78M^2	22.77 M^2
	Rate paid / Rate due	Rs. 295	Rs.295	221.05
	Amount paid / amount due	25237.25 'A'	18520.10'B'	5033.30 'C'
	Amount Due		23553.40 {'B'+'C'}= 'D'	
	Amount overpaid	'A' - 'D'	₹1683.85	
	Total Amount overpaid	**₹28604.85 (₹26921.00+1683.85)**		

13 (10) (3) आबंटन पत्र की शर्त संख्या 10 सहपठित शर्त संख्या 11 अनुसार अत्यधिक कम दर वाली मदों के निष्पादन को सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से संविदाकार से बतौर अतिरिक्त परफॉरमेंस प्रतिभूति प्राप्त दर्शायी गई SBI FDR No. 38122069292 दिनांक 12.12.2018 ₹168650 की प्राप्ति की प्रविष्टि प्रतिभूति पंजिका में दर्ज़ नहीं पाई गई जिस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

13 (10)(4) **अतिरिक्त मदों पर बिना स्वीकृति के राशि ₹1.94 लाख का अनियमित भुगतान :-**

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 7 अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कार्य स्थल पर आबंटन के विरुद्ध कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं था परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-8** में दर्ज़ विवरण अनुसार इस निर्माण कार्य के अंतर्गत 6ठे चलत बिल तक ₹ 193597.36 की राशि की अतिरिक्त मदों (Extra Item) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निष्पादित किया जा चुका था जो कि अनियमित है | अत: अब निष्पादित अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13(11) Name of Work	GSSS Behna Jattan, Distt. Bilaspur HP (SH: C/o class rooms)		
Agreement No.	39 of 2023-24	**Voucher No.**	**99**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2023-3369-81 dated 14.09.2023 for Rs. 3230442.58 (25.04% below amount put to tender)		
MB No.	1950,1929	**BILL AMOUNT**	1974973.65
Running Bill No.	Ist R/bill		
Name of Contractor	Sh. Sanak Kumar Shukla		

13 (11) (1) उच्च दर की मदों पर राशि ₹0.13 लाख का अनियमित भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 12 अनुसार, अत्यधिक उच्च दर वाली मदों (Absurdly High Rate Items अर्थात वे मदें जिनके लिए संविदाकार द्वारा NIT / न्यायोचित दर से 25% अधिक की दर निविदा में भरी गई थी) के सम्बन्ध में हिमुडा के वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु प्रावधान किया गया था कि निर्माण के दौरान ऐसी मदों के निष्पादन पर आबंटित मात्रा तक निविदा दर अनुसार तथा तत्पश्चात अर्थात आबंटित मात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा, यदि कोई हो, का भुगतान NIT / न्यायोचित दर पर किया जायेगा क्योंकि निर्माण कार्य का कुल आबंटन मूल्य न्यायोचित दर पर आधारित कुल मूल्य से कम था जिसके दृष्टिगत इन मदों के सम्बन्ध में कोई मोल भाव (negotiation) भी नहीं किया गया था | परन्तु इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि संविदाकार को आबंटित मात्रा से अधिक मात्रा के निष्पादन पर भी निवेदित दरों पर ही पूर्ण भुगतान कर दिया गया तथा परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार ₹12574.76 का अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

Item No.	Nomenclature of Item	Executed Quantity as per MB 1950 P-4	Awarded Quantity	Quantity beyond Awarded Quantity
4.01	Centering and shuttering in Foundations, footings etc.	61.08 M^2	59.04 M^2	2.04 M^2
	Rate paid / Rate due	₹6400	₹6400	₹235.90
	Amount paid / amount due	390912 'A'	377856 'B'	481.24 'C'
	Amount Due		378337.24 {'B'+'C'}= 'D'	
	Amount overpaid	'A' - 'D'	**₹12574.76**	

13 (11)(2) माप पुस्तिका 1950 के पृष्ठ संख्या 8 पर दर्ज़ सारांश प्रविष्टि अनुसार संविदाकार से निर्माण कार्य के दौरान खुदाई के कार्य से Quarried stone हेतु ₹22581{54.77M^3 (i.e. 10% of

Item No. 1: 549.76M^3 of the earth excavated) @ Rs. 412.28} की वसूली तो की गई थी परन्तु निम्न तालिका में दर्शायी गणना अनुसार ₹9814 की रॉयल्टी की राशि की कटौती संविदाकार को देय भुगतान से कर राजकीय कोष में जमा करवाई जानी भी अपेक्षित थी जो कि नहीं की गई। इस प्रकार संविदाकार को ₹9814 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10% of the amount of earth cut / excavated	Weight of quarried stone @ 2.24 MT per M^3	Rate of Royalty per MT (₹)	Amount due for recovery on account of Royalty (₹)
54.77M^3	122.68 MT	80 (being award of after Feb, 2022)	9814

13 (11)(3) राशि ₹185/- गणना में त्रुटि के कारण अधिक भुगतान :-

माप पुस्तिका 1929 के पृष्ठ संख्या 34 (read with abstract entry at page-6 of MB-1950) पर दर्ज़ 20 MM Tor Steel की प्रविष्टि में जोड़ की त्रुटी के कारण वास्तविक निष्पादित मात्रा को 107 RMT के स्थान पर 108 RMT अर्थात 1RMT अधिक दर्शाकर मद संख्या 5 : P/L TMT/Steel के अंतर्गत संविदाकार को ₹ 185 (1x2.47 x Rs.75 per kg) का अनियमित अधिक भुगतान किया गया जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा संविदाकार से उक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

13 (11) (4) फार्म एम०/डब्ल्यू अथवा एक्स उचित प्रकार से प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल भी वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये। अंकेक्षण स्तर पर निम्न तालिका में दर्शाई गई गणना अनुसार इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 257.18 MT (except stone which has been supplied from site) की थ्योरेटिकल खपत हुई थी जिसके विरुद्ध केवल 165 मीट्रिक टन क्रशर सामग्री के लिए एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म ही वाउचर के सलंग्न पाए गए। परन्तु इन फॉर्म की पड़ताल के दौरान पाया गया कि इनमें से 20 MT के फॉर्म के सम्बन्ध में निर्माण कार्य स्थल स्तम्भ के विरुद्ध **"HP" (i.e. in case of X- Form No. 5254407884651 dated 13.01.2024 for 5MT of Grit, 5450247903233 dated 15.01.2024 for 5MT of Washed Sand, 2607498034882 dated 30.01.2024 for 5MT of Washed Sand and 2454057894213 dated 14.01.2024 for 5MT of Washed Sand)**

इंगित किया गया था। इस प्रकार हिमुडा मण्डल, मण्डी द्वारा निर्माण सामग्री की पूर्ण खपत मात्रा से कम के एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म प्रस्तुत किये जाने तथा फॉर्म में निर्माण कार्य स्थल बारे स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी अनियमित रूप से संविदाकार को भुगतान जारी कर दिया गया जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अवेहलना है। अत: इस बारे वस्तुस्थिति, अंकेक्षण को ठोस कारणों सहित स्पष्ट की जाये जबकि मामला हिमुडा के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ यथोचित कार्रवाई हेतु भी लाया जाता है।

Sr. No.	**Item**	**Quantity Executed**	**Consumption factor**			**Theoretical Consumption of Material in M^3**		
			Sand	**Agg.**	**Stone**	**Sand**	**Agg.**	**Stone**
1	P/L CC 1:4:8	$32.07M^3$	0.47	0.89		15.07	28.54	
2	P/L CC M-25 (factors for 1:1:5:3 considered)	$76.41M^3$	0.425	0.85		32.47	64.95	
3	RR Masory CM : 1:6	$27.89M^3$	0.353	0.69	1.16	9.85	19.24	33.04
4	Brickwork in 1: 6	$1.87M^2$	0.257			0.48		
Total						**57.87**	**112.73**	**33.04**
Factors for conversion from M^3 to weight in Metric Tonnes						1.60	1.46	2.24
Weight in Metric Tonnes						**92.59**	**164.59**	**74.00**
Total weight						**257.18MT(except stone since $55M^3$ of stone was issued from MAS)**		

13(12) **Name of Work**	**PSFS at Bilaspur (SH: C/O Additional 16 Nos. Type-III flats)**		
Agreement No.	4 of 2014-15	**Voucher No.**	**104**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2013/5312 -22 dated 20.01.2014 for ₹29585297 {**Annexure-A** for ₹27937407 (17.40% above) **Annexure-B** ₹1645890 (145.50% above)		
MB No.	1661,1543	**BILL AMOUNT**	99600.00
Running Bill No.	9th & final bill		
Name of Contractor	Shri Rakesh Goel	Date of closure of work	30.06.2016

13 (12) (1) गणना में त्रुटि के कारण राशि ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान :-

इस निर्माण कार्य के 9th & final bill की Abstract प्रविष्टि अनुसार संविदाकार को **Item No. 36 of Annexure-A of the Schedule of Quantity** - 504 No. of Iron Holdfast in CC Block of size 30x10x15 cms in 1:3:6 का भुगतान तो संविदाकार को किया गया परन्तु इस मात्रा की कटौती **Brickwork** से न किये जाने के कारण निम्न तालिका में दर्शाए गये विवरण अनुसार संविदाकार को ₹12020 (worked out on the basis of brickwork rate in superstructure) का अधिक अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹12020 अथवा वास्तविक निष्पादन अनुसार संविदाकार से समुचित वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Item No./ Nomenclature	Quantity as per MB	Rate for item of brickwork in superstructure Item No. 22 (₹)	Amount overpaid-rounded (₹)
Providing 40x3 mm flat iron hold fast 40cm. Long including fixing to frame with 10mm diameter bolts & nuts and wooden plugs and embeding in cement concrete block 30x10x15 cm. 1:3:6 (1 cement:3sand:6 graded stone aggregate 20 mm nominal size) including carriage of materials in all leads and lifts.	0.30x0.10x 0.15 x 504=2.268 m^3 **Abstract at MB- at Page-1543 P-81**	5300 **Abstract at MB-1543 Page-76**	12020

13 (12) (2) वीप होल की मात्रा की कटौती न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान :-

उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 1543 के पृष्ठ संख्या -78 में दर्ज़ सारांश प्रविष्टि अनुसार **Item No. 28 of Annexure-A of the Schedule of Quantity** - 220 No. of Weepholes 100MM Dia हेतु संविदाकार को पृथक से भुगतान तो किया गया था परन्तु न तो Item No. 18: 1:5:10 Cement Concrete Wall with 15% Plum (MB-1543 Page-74 Total executed Quantity=1464.04M^3) तथा न ही Item No. 25 Random Rubble Masonry in 1:6:12 (MB-1543 Page-77-Total executed Quantity=34.66M^3) से Weepholes 100MM Dia के आयतन के बराबर की कटौती की गई थी। इस प्रकार संविदाकार को ₹ **7599** {(3.14x 0.05x 0.05x.1.6x220 x ₹2750) worked out considering the average width of the wall to be 1.60 M and rate of ₹2750 paid for

Item No. 18) अनियमित अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस बारे या तो वस्तुस्थिति अंकेक्षण को स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹**7599** अथवा वास्तविक निष्पादन अनुसार संविदाकार से समुचित वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

13 (12) (3) कार्य स्थल पर लाई गई शुद्र सामग्री के एवज में फार्म एम०/डब्ल्यू अथवा एक्स प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में **"प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी"** उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल तथा एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म भी वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये तथा न ही अंकेक्षण द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किये गए। इस प्रकार अंकेक्षण के स्तर पर यह पुष्टि न हो सकी कि हिमुडा मण्डल स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना कैसे सुनिश्चित की जा रही है | एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म की आभाव में **परिशिष्ट-10** में दर्शाए गए विवरण एवं गणना अनुसार ₹**325916.40** की रॉयल्टी की वसूली संविदाकार को देय भुगतान से कर राजकीय कोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी क्योंकि यह आबंटन फरवरी, 2022 से पूर्व का प्रसंग था जी कि नहीं की गई। अत: इस प्रसंग में या तो वांछित एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म अंकेक्षण को प्रस्तुत किये जायें अन्यथा खनन विभाग से पूर्व परामर्श कर अंतिम कार्रवाई करने के उपरांत {जिसमे रॉयल्टी की वसूली भी शामिल है} अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13(13) Name of Work	**C/o housing colony at Rajwari Distt. Mandi (SH: Providing and laying external water supply to Housing colony)**		
Agreement No.	41 of 2023-24	**Voucher No.**	**127**
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28-2023-3229-41 dated 05.09.2023 ₹3169019.50 (31.32% below)		
MB No.	1919	**BILL AMOUNT**	1220520.00
Running Bill No.	Ist R/bill		
Name of Contractor	Sh. Pawan Kumar (BLP)		

13 (13) (1) विचलन एवं अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत करवाये बगैर राशि ₹5.73 लाख का अनियमित भुगतान :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कार्य स्थल पर आबंटन के विरुद्ध कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं था परन्तु इस निर्माण कार्य से

सम्बन्धित अभिलेख की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-8** में दर्ज़ विवरण अनुसार इस निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रथम चलत बिल तक ₹573430 की राशि की प्रतिस्थापन मदों (Substitute Item) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निष्पादित किया जा चुका था जो कि अनियमित है। अतः अब निष्पादित प्रतिस्थापन मदों (Substitute Items) के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13(14) Name of Work	C/o Housing colony at Rajwari distt. Mandi (SH: P/F barbed wire around the boundary line)		
Agreement No.	35 of 2017-18	Voucher No.	132
Award letter No. / Amount	HIMUDA/MD/CB/W-28/2017-1065-74 dated 01.06.2017 ₹1448584.65 (22.20% above)		
MB No.	1527	BILL AMOUNT	32501.00
Running Bill No.	5th Final bill		
Name of Contractor	Sh. Vijay Kumar		

13 (14) (1) फार्म एम/डब्ल्यू अथवा एक्स प्रस्तुत न करवाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सीमेंट के अतिरिक्त निर्माण स्थल पर प्रयुक्त अन्य सामग्री जैसे रेत, बजरी और पत्थर के सम्बन्ध में "**प्रयुक्त निर्माण सामग्री की विवरणी**" उप-मण्डल स्तर पर तैयार नहीं की गई थी तथा संविदाकार द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई सामग्री के बिल तथा एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म भी वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाए गये। अंकेक्षण स्तर पर निम्न तालिका में दर्शायी गई गणना अनुसार इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 268.53 MT निर्माण सामग्री की थ्योरेटिकल खपत हुई थी जिसके विरुद्ध एम/डब्ल्यू/एक्स फॉर्म की अनुपस्थिति में ₹ 16112 की रॉयल्टी की वसूली संविदाकार को देय भुगतान से कर राजकीय कोष में जमा करवाई जानी भी अपेक्षित थी क्योंकि यह आबंटन फरवरी, 2022 से पूर्व का प्रसंग था। अतः इस प्रसंग में खनन विभाग से पूर्व परामर्श कर अंतिम कार्रवाई करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Item No.	Nomenclature of Item	Quantity	Sand (in MT)	Agg. (in MT)	Total in MT
2	1:5:10 P/I CC	130.90 M^3	Sand: 130.90 x 0.47x1.6	Agg. 130.90 x 0.89x1.46 = 170.09 MT	268.53 MT

			0=98.44 MT		
Rate of Royalty per MT (being award of before Feb, 2022)					Rs. 60 / MT
Royalty which was required to be recovered					**16112**

13 (15) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि खनन विभाग भी M-forms के दुरूपयोग को रोकने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने में विफल रहा है जिसके अभाव में एक ही एम् फॉर्म का एक संविदाकार के विभिन्न निर्माण कार्यो / विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यो, एक ही निर्माण कार्य के विभिन्न चलत बिलों के विरुद्ध प्रयोग / समायोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता जब तक कि खनन विभाग की वेबसाइट पर निर्माण कार्य का नाम, कार्यस्थली, कार्य करवाने वाले विभाग का नाम स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया जाता | साथ ही वतर्मान व्यवस्था के स्थान पर जिसके अंतर्गत संविदाकार द्वारा M-forms प्रस्तुत किया जा रहे हैं, कार्य करवाने वाले विभाग द्वारा अपने निर्माण कार्य के विरुद्ध वैध तरीके से क्रय की गई निर्माण सामग्री की सूचि खनन विभाग की वेबसाइट से डाउन लोड करने की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए ताकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP No. 868 of 2023 dated 20.06.2023 के अंतर्गत जारी आदेश तथा प्रदेश सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की समुचित अनुपालना सुनिश्चित हो सके | इस प्रसंग में वर्तमान व्यवस्था की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से मामला हिमुडा मुख्यालय के माध्यम से खनन विभाग से उठाये जाये तथा इस सम्बन्ध में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत भी करवाया जाये |

उपरोक्त अनियमितायें अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 13 दिनांक 05.03.2025 द्वारा तथा अंकेक्षण के समापन पर चर्चा के दौरान अधिशासी अभियंता महोदय के ध्यानार्थ लाई गई थी तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे आश्वस्त किया। अत: अब आश्वासन अनुसार आवश्यक अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अंकेक्षण को अभिलेख सहित अवगत करवाया जाये।

14. लघु आपत्ति विवरणी :- यह अलग से जारी नहीं की गई क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

15. निष्कर्ष :- मण्डल कार्यालय को निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आबंटन पत्र में निहित शर्तों की अक्षरशः अनुपालना, व्यक्तिगत दावों का नियमानुसार विनियमन उपरांत ही भुगतान तथा हस्तगत रोकड़ को भी नियमानुसार विनियमित करने की नितांत आवश्यकता है।

19 JUN 2025

(अनिल शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620881

का0/प्रति

3878-3882

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)172/92–खण्ड–15 दिनांकः शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1 (ख) के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

3 उप–सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा शिमला–03

4 अधीक्षण अभियन्ता (दक्षिण) हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पंजीकृत 5 अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–मण्डी, जिला मण्डी को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JUN 2025

(अनिल शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष 0177–2620881

का0/प्रति

परिशिष्ट "1"

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 (ग) के सन्दर्भ में

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा- 44	आंशिक निर्णीत ₹33,058/- की राशि वसूली शेष है **यद्यपि अंकेक्षण को इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई बारे प्रस्तुत उत्तर अनुसार मामला अब हिमुडा मुख्यालय स्तर पर लंबित है।**

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा- 9	**निर्णीत** (अभिलेखों की जांच उपरान्त एवं सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा- 7 (3)	अनिर्णीत
2	पैरा- 21	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा- 7 (ii) (iii) (iv)	अनिर्णीत
2	पैरा- 7 (xv)	**निर्णीत** (अभिलेखों की जांच उपरान्त एवं सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
3	पैरा- 8	**निर्णीत** (प्रस्तुत अनुपालना की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा- 7 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा- 15	अनिर्णीत
3	पैरा- 16	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा- 4 (ख)	अनिर्णीत

2	पैरा- 9	अनिर्णीत
3	पैरा- 10	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा- 11 (i)	अनिर्णीत
2	पैरा- 11 (ii)	**निर्णीत** (प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
3	पैरा- 13	अनिर्णीत
4	पैरा- 14	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2014

1	पैरा- 10	अनिर्णीत
2	पैरा- 12	अनिर्णीत
3	पैरा- 21	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा- 15 (क)	**निर्णीत** (अभिलेखों की जांच उपरान्त एवं सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
2	पैरा- 17 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा- 21	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा- 10 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा- 18	**निर्णीत** (आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में पैरा पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत)
3	**पैरा- 24 (ख)**	**निर्णीत श्री राजेन्द्र कुमार, कार्य निरीक्षक के मास 11/2023 भुगतान मास 12/2023 के वेतन से की गई रु 6083 की वसूली की पुष्टि उपरांत (वेतन पंजी पृष्ठ संख्या 28, Audit Recovery Ledger Account Page-180)**

(11) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2017</u>

1	पैरा- 5 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा- 10 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा- 11 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा- 12 (क)	अनिर्णीत
5	पैरा- 14 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा- 15 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा- 15 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा- 16 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा- 17 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा- 18 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा- 19 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा- 20 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा- 21 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा- 21 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा- 22	अनिर्णीत
16	पैरा- 25	अनिर्णीत
17	पैरा- 26	अनिर्णीत

(12) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2017 से 3/2018</u>

1	पैरा- 7 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा- 7 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा- 7 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा- 9	अनिर्णीत
5	पैरा- 12 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा- 13 (घ)	अनिर्णीत
7	पैरा- 14 (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा- 16 (क)	अनिर्णीत

9	पैरा- 17 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा- 18 (ख) (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा- 26	अनिर्णीत

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2018 से 3/2019

1	पैरा- 14	अनिर्णीत
2	पैरा- 17 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा- 21 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा- 27	**निर्णीत** (प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2019 से 3/2020

1	पैरा- 10 (क)	अनिर्णीत

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2020 से 3/2021

1	पैरा- 8	अनिर्णीत
2	पैरा- 14 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा- 15	अनिर्णीत
4	पैरा- 16 (क)	**निर्णीत** (प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
5	पैरा- 16 (ख) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा- 17	अनिर्णीत
7	पैरा- 20	अनिर्णीत
8	पैरा- 21	**आंशिक निर्णीत** (क्रम संख्या 4 के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

9	पैरा- 22	अनिर्णीत
10	पैरा- 26	अनिर्णीत

(16) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2021 से 3/2022

1	पैरा- 3	**निर्णीत** (अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित जो कि मुख्यालय स्तर पर अदा की जाती है)
2	पैरा- 7 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा- 7 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा- 7 (ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा- 8 (क)	**निर्णीत** (जल प्रभार की बकाया राशि से सम्बन्धित है जो कि आगामी अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित है)
6	पैरा- 8 (ख)	अनिर्णीत
7	पैरा- 9	अनिर्णीत
8	पैरा- 10 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा- 12	अनिर्णीत
10	पैरा- 16 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा- 16 (ख)	**निर्णीत** (प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
12	पैरा- 16 (ग)	अनिर्णीत
13	पैरा- 16 (घ)	अनिर्णीत
14	पैरा- 16 (ङ)	अनिर्णीत
15	पैरा- 18	अनिर्णीत
16	पैरा- 21	अनिर्णीत **(वेतन पंजी के पृष्ठ संख्या 34, व् 99 तथा 25 व् 93 पर दर्ज़ प्रविष्टि अनुसार क्रमश: श्री राजेश कुमार एवं श्री दुगला राम कनिष्ठ अभियंता प्रत्येक से वसूली योग्य राशि रु 1,22,845 में से माह जून 2023 के वेतन से रु 4119 तथा तत्पश्चात जुलाई, 2023 से फरवरी,**

		2025 तक रु 4,000/- प्रतिमाह की दर से प्रतेयक कर्मचारी से रु 84,119 की वसूली की जा चुकी है । अतः पैरे में वर्णित समस्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि पैरे का समायोजन किया जा सके)
17	पैरा- 24	अनिर्णीत

(17) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2022 से 3/2023

1	पैरा- 4 (क)	**निर्णीत (पैरा पुनः प्ररूपित)**
2	पैरा- 4 (ख)	**निर्णीत (पैरा पुनः प्ररूपित)**
3	पैरा- 4 (ग)	**निर्णीत (अभिलेखों की जांच उपरान्त एवं सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)**
4	पैरा- 5 (क)	**निर्णीत (पैरा पुनः प्ररूपित)**
5	पैरा- 5 (ख)	**निर्णीत (पैरा पुनः प्ररूपित)**
6	पैरा- 6	**निर्णीत (पैरा पुनः प्ररूपित)**
7	पैरा- 7 (क)	**निर्णीत (पैरा पुनः प्ररूपित)**
8	पैरा- 7 (ख)	**निर्णीत** (प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
9	पैरा- 7 (ग)	**आंशिक निर्णित** (पैरे में दर्शाई गई तालिका के क्रम संख्या 3,5,8,9,15,16,18,19,20,21,22, व् 23 के सम्बन्ध में कार्रवाई लंबित है जबकि शेष प्रसंगों में प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)

10	पैरा- 7 (घ)	**निर्णीत** (प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
11	पैरा- 8 (क)	**निर्णीत (पैरा पुनः प्ररूपित)**
12	पैरा- 8 (ख)	**निर्णीत (अभिलेखों की जांच उपरान्त एवं सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)**
13	पैरा- 9	अनिर्णीत
14	पैरा- 10(क), (ख), (ग), (घ)	**निर्णीत (अभिलेखों की जांच उपरान्त एवं सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)**
15	पैरा- 11 (क)	अनिर्णीत
16	पैरा- 11 (ख)	अनिर्णीत
17	पैरा- 11 (ग)	अनिर्णीत
18	पैरा- 12	**निर्णीत (अभिलेखों की जांच उपरान्त एवं सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)**
19	पैरा- 13 (क)	**निर्णीत** (प्रस्तुत अनुपालना एवं सटिप्पन उत्तर की अभिलेख से पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)
20	पैरा- 13 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा- 14	अनिर्णीत
22	पैरा- 15	अनिर्णीत
23	पैरा- 16	अनिर्णीत
24	पैरा- 17	**निर्णीत (सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)**
25	पैरा- 18	**निर्णीत (सटिप्पन उत्तर की जांच के उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया)**
26	पैरा- 19	अनिर्णीत

27	पैरा- 20	अनिर्णीत
28	पैरा- 21	अनिर्णीत
29	पैरा- 22	**निर्णीत (वेतन पंजी के पृष्ठ संख्या 95,102 व् 108 पर प्रविष्टि अनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों के जुलाई, 2024 के वेतन से की गई ₹4510 की वसूली के दृष्टिगत निर्णित {श्री राजेश कुमार- ₹653, श्री राज कुमार - ₹1232 व् श्री राजेंदर कुमार – ₹2625)**

(18) नगर विकास प्राधिकरण से संबन्धित पैरे :-

(i) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/97 से 3/98

1	पैरा- 22 (9)	अनिर्णीत

(ii) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 4/99 से 15.01.2001

1	पैरा- 51	अनिर्णीत

परिशिष्ट - 2
पैरा सं० 4(2)
पृ - 1/3

Bank Reconcilation statement of different bank accounts in respect of HIMUDA Division Mandi as on 31.03.2024

Sr.	Partculars		Amount
1	**SBI Bank Lunapani A/c No.37305348960**		
	Balance as per cash book		**844277.50**
	Balance as per Pass book	(-)	**844277.50**
	Diff.		**0.00**
2	**HDFC Bank Mandi A/c No. 50100207717232**		
	Balance as per cash book		**831192.60**
	Add: Cheque issued but not debited		
	Ch. No.000120 dated 30.03.2024 (Cleared on dated 02.04.24)		10462.00
	Ch. No.000121 dated 30.03.2024 (Cleared on dated 02.04.24)		10462.00
	Ch. No.000122 dated 30.03.2024 (Cleared on dated 02.04.24)		10462.00
	Total uncleared amount	(+)	**31386.00**
	Balance as per Pass book	(-)	**862578.60**
	Diff.		**0.00**
3	**IndusInd Bank Mandi A/c No. 151002415414**		
	Balance as per cash book		**9322506.00**
	Balance as per Pass book	(-)	**9322506.00**
	Diff.		**0.00**
4	**SBI Bank Gandhi Chowk Mandi A/c No.11056323833**		
	Balance as per cash book		**1917419.73**
	Add: Cheque issued but not debited		
	Ch. No.145340 dated 30.03.2024 (Cleared on dated 08.04.24)		18500.00
	Ch. No.145341 dated 30.03.2024 (Cleared on dated 08.04.24)		296254.00
	Ch. No.145342 dated 30.03.2024 (Cleared on dated 12.04.24)		925464.00
	Total uncleared amount	(+)	**1240218.00**
	Balance as per Pass book	(-)	**3157637.73**
	Diff.		**0.00**
5	**PNB Bank Mandi A/c No. 3377002100006540**		
	Balance as per cash book		**17334133.11**
	Add: Cheque issued but not debited		
	Ch. No.165150 dated 15.03.24 (Cleared on dated 04.04.24)		5000.00
	Total uncleared amount	(+)	**5000.00**
	Balance as per Pass book		**17339133.11**
	Diff.		**0.00**

परिशिष्ट - 2
पैरा सं 4(2)/2/3

Sr.	Partculars		Amount
6	**UBI Mandi A/c No. 362102010004655**		
	Balance as per cash book		**35537780.03**
	Add: Cheque issued but not debited		
	Ch. No. 137300 dated 06.11.2023		5418.00
	Ch. No. 001033 dated 19.12.23 (Short Debited)		0.30
	Ch. No. 004073 dated 18.03.24		9153.00
	Ch. No. 004089 dated 21.03.24 (Cleared on dated 20.04.24)		1250.00
	Ch. No. 004098 dated 30.03.24 (Cleared on dated 03.04.24)		5690.00
	Ch. No. 004099 dated 30.03.24 (Cleared on dated 02.04.24)		2550.00
	Ch. No. 005787 dated 30.03.24 (Cleared on dated 09.04.24)		9196.00
	Ch. No. 005789 dated 30.03.24 (Cleared on dated 02.04.24)		3264.00
	Ch. No. 005790 dated 30.03.24 (Cleared on dated 02.04.24)		3264.00
	Ch. No. 005791 dated 30.03.24 (Cleared on dated 03.04.24)		2932127.00
	Total uncleared amount	(+)	**2971912.30**
	Balance as per Pass book		**38509692.33**
	Diff.		**0.00**
7	**HP SCOB Sauli Khad Mandi A/c 328201000063**		
	Balance as per cash book		**28853678.00**
	Balance as per Pass book		**28853678.00**
	Diff.		**0.00**
8	**Parwanoo Urban Co-Opp. Bank A/c No.1111010000625**		
	Balance as per cash book		**530005.00**
	Balance as per Pass book	(-)	**530005.00**
	Diff.		**0.00**
9	**Axis Bank Mandi A/c No. 913020040883895**		
	Balance as per cash book		**6561735.64**
	Balance as per Pass book	(-)	**6561735.64**
	Diff.		**0.00**
10	**ICICI Bank Mandi A/c No. 045101000668**		
	Balance as per cash book		**4390155.00**
	Balance as per Pass book		**4390155.00**
	Diff.	(-)	**0.00**

61

Sr.	Partculars		Amount
11	**Canera Bank Mandi A/c No. 120023966130**		
	Balance as per cash book		**839904.00**
	Balance as per Pass book		**839904.00**
	Diff.	(-)	**0.00**
12	**Bank of Baroda A/c No. 09640100012365**		
	Balance as per cash book		**607598.01**
	Balance as per Pass book		**607598.01**
	Diff.	(-)	**0.00**
13	Cash in hand		**670031.43**
Total Closing Balance as on 31.03.2024			**108240416.05**

Executive Engineer
HIMUDA Division Mandi

(62)

परिशिष्ट -3
पैरा सं. 5

DETAIL OF MISC. ADVANCE W.E.F. 01.04.2023 To 31.03.2024.

	Name of Firm/contractor	Opening balance as on 01.04.2023		Misc. advance issued during the year 2023-24	Adjusted during the year 2023-24	Closing Balance as on 31.03.2024
1	MD HPSCSC Shimla.	Dr.	3100099	2400	0	3102499
2	M/S Sood Steel Industies.	Dr.	537200	0	0	537200
3	Sh. Pankaj Gupta, Contractor.	Dr.	2300000	5300000	6900000	700000
4	Sh. Rakesh Kumar, Contractor.	Dr.	500000	1500000	1500000	500000
5	EE HIMUDA Division Parwanoo	Cr.	58864	0	0	58864 Cr
6	M/s Himachal Techo. Engineers	Dr.	0	1500000	1500000	0
7	Sh. Rakesh Goel Govt. cont.	Dr.	2000000	0	2000000	0
	Total		~~8437299~~ 8496163 Dr	**8302400**	**11900000**	~~4780835~~ ~~4898563~~ 4839699 Dr 58864 Cr

Note:- Credit amount of Rs. 58864.00 has been refunded to XEN Parwanoo on dated 29.07.2024.
This account was created to accommodate the payments from cheque book related to PNB A/c of XEN Parwanoo.
Which was wrongly delivered here this division by the bank and also used inadvertently to make payments of Rs. 58864.00 here in this division in the month of November 2020.

58864 Cr.

Executive Engineer
HIMUDA Divn. Mandi

63

Detail of outstanding dues on deposit works as on 31.03.2024 in respect of HIMUDA Division Mandi. परिशिष्ट - 4 पैरा सं० 6(1)/ख(2) पृ 1/3

(Rs. In lacs)

Sr. No.	Name of Work	A/A & E/S	Receipt	Expdr.	Excess expdr.	
	Higher Education Department					
1	Science Block Govt. SSS Jhandutta, Distt. Bilaspur.	90.47	108.65	111.45	2.80	
2	GSSS (Girls) Sarkaghat (SH: C/O 9 Nos. class rooms).	84.85	84.45	87.61	3.16	It is apprised that this office has been made time to time correspondence with the client department vide letter No. 2798-2800 dated 20.09.2021
3	C/o Add. Block Accmmd. to the office of Dy. Director (Higher Education)Tarna, Mandi	146.73	146.73	158.83	12.10	It is apprised that this office has been made time to time correspondence with the client department vide letter No. 3855-58 dated 12.11.2021
4	Govt. Degree College Ghumarwin (SH: C/o Libarary block)	68.65	78.65	92.86	14.21	
5	DIET Complex Jukhala Distt. Bilaspur.	67.12	134.74	144.64	9.90	It is apprised that this office has been made time to time correspondence with the client department vide letter No. 3866 dated 12.11.2021
6	C/o Science lab GSSS Kaphara,Bilaspur	158.70	95.00	132.23	37.23	It is submitted that Rs. 40.00 lacs has been received on FY 2024-25. It is apprised that this office has been made time to time correspondence with the client department vide letter No. 5896-5901 dated 19.01.2024 & even file letter No. 1406-07 dated 16.07.2024
	Total		**648.22**	**727.62**	**79.40**	

64

परिशिष्ट -4
पैरा सं० 61/ल(2)
पृ० 2/3

Sr. No.	Name of Work	A/A & E/S	Receipt	Expdr.	Excess expdr.	
	Fisheries Department					
7	Trout Fish Farm at Hamni, Distt. Kullu.	232.78	237.40	300.80	63.40	After reconcilation with client department revised estimate has been sent vide office letter No.2024-3171 Dated 04.10.2024
8	Fish Farm Alsoo, Distt. Mandi.	51.79	37.92	56.85	18.93	
9	Fish Farm Deoli (Ghagas), Distt. Bilaspur.	43.12	50.17	71.79	21.62	
10	Extension of Tank at Deoli Ghagus Distt. Bilaspur.	136.31	131.60	140.09	8.49	
	Total		**457.09**	**569.53**	**112.44**	
	HRTC					
11	Inter State Bus Stand at Mandi.	1742.42	1722.53	1794.82	72.29	It is apprised that this office has been made time to time correspondence with the client department vide letter No. 488-92 dated 07.05.2024 even file letter No. 147-51 dated 08.04.2024.
	Total		**1722.53**	**1794.82**	**72.29**	
	Technical Education					
12	ITI building at Mandi.	187.4	198.94	216.17	17.23	It is apprised that this office made time to time correspondence with the client department.
	Total		**198.94**	**216.17**	**17.23**	
	Police Department					
13	C/o Directorate of Police communication and technical services centre at Mandal (Bhangrotu) Tehsil Balh, Distt. Mandi	2239.45	810.01	913.44	103.43	It is apprised that this office has been made time to time correspondence with the client department vide letter No. 470-73 dated 07.05.2024

65

Sr. No.	Name of Work	A/A & E/S	Receipt	Expdr.	Excess expdr.	
	Horticulture Department					
14	C/o Mashroom Unit at Sidhpur, The-Dharmpur,Distt.- Mandi	640.81	484.51	553.99	69.48	It is submitted that Rs. 10.00 lacs has been received on FY 2024-25. It is apprised that this office has been made correspondence with the client department vide letter No. 79-85 dated 05.4.2024 & even file letter No. 463-69 dated 06.05.2024
	Total		**484.51**	**553.99**	**69.48**	
	G Total		3511.29	3862.13	**350.84**	

Executive Engineer,
HIMUDA Division Mandi

66

परिशिष्ट-5
पैरा सं 7(1) व 8(1)

Colony wise outstaing detail of Maintenance Charges, Water Charges & Sewerage Charges as on 31.03.2024

Sr. No.	Name of Colony/Complex	Maintenance Charges	Water Charges
1	PSFS Shahi Nallah, Bajoura-I,Kullu	1,297,984.00	65,613.00
2	PSFS Shahi Nallah, Bajoura-II,Kullu	1,035,901.00	54,575.00
3	Shopping Complex Beasa More Kullu	2,129,081.00	-
4	Social Housing Colony Bilaspur	2,517,635.00	-
5	Housing Colony at Daruhi,Hamirpur	417,287.00	6,646.00
6	Housing Colony at Naya Nagar,Hamirpur	-	16,973.00
7	Self Financing Scheme at Sanyard, Mandi	638,361.00	6,803.00
8	Self Financing Scheme at Daundhi, Mandi	366,998.00	42,367.00
9	Housing Colony at Sundernagar, Mandi	89,983.00	-
Total		**8,493,230.00**	**192,977.00**

Executive Engineer
HIMUDA Division Mandi

67

Abstract of Cost for Salvaged material

Name of work:- Construction of 8 Nos.3BHK & 2BHK flats each at Housing Colony Daundhi Tehsil Balh Distt Mandi H.P (SH:- Demolition/Dismantling of existing structure i.e chowkidar room and cement store shed)

S.No	Description	Dismantled Qty	Serviceable Qty		Unit	Consumption factor	Qty	Unit	Residual Value (Approx)	Amount	Present Condition	Head of A/C of which disposal proceed should be credited	Head of A/C of which the price of article was debited at the time of purchase	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Brick Work in 1:6	30.51	15%	4.57	Cum	475 Nos per Cum	2171.00	Nos	2.00	4342.00	Unserviceable due to demolition and dismantling	Misc.receipt HIMUDA	Deposit works	The unserviceable materials found during the demolition/ dismantling of existing structure i.e chowkidar room & cement store shed at PSFS Daundhi for the construction of 3BHK Flats at Daundhi.
2	Stone Masnory	16.92	20%	3.38	Cum	1.00	3.38	Cum	600.00	2028.00				
3	Door and windows	11.00	20%	2.00	Nos	1.00	2.00	Nos	500.00	1000.00				
4	Steel work	401.02	100%	401.02	Kg	1.00	401.02	Kg	20.00	8020.40				
5	Roofing sheet	46.00	100%	46.00	Sqm	Sheet size 0.90x2.438 M= 2.194 Sqm i.e 46.00/2.194 = 20.96 or 21 Nos @ 11.60 Kg/Sheet	243.60	Kg	35.00	8526.00				
								Total	Rs.	23916.40				

Say Rs. 23916.00

Assistant Engineer
HIMUDA Sub Division
Mandi

68

Annexure- I

पैरा सं 13(2) 2
पृ-1/2

Name of work :- C/O Kalyan Bhawan at Mandi, Distt. Mandi (HP)
Name of Agency :- Pankaj Gupta

Calculation of Royalty

Sr. No.	Item	Quantity Executed	Consumption factor			Theoretical Consumption of Material in M^3		
			Sand	Agg.		Sand	Agg.	
1	P/L CC M-20 curing complete (factors for 1:2:4 considered)							
a	Suspended Floors, roofs, landing & Shelves	83.16 M^3	0.445	0.89		37.00	74.01	
b	Staircase	1.41 M^3	0.445	0.89		0.63	1.25	
c	Columns, Pillar Posts	35.24 M^3	0.445	0.89		15.68	31.36	
2	P/L M-20 C.C for R.C.C Chajjaa (factors for 1:1:5:3 considered)	4.55 M^3	0.425	0.85		1.93	3.86	
3	P/L C.C 1:8:16	43.56 M^3	0.47	0.89		20.47	38.77	
4	Brick work in S/Str. In cm 1:6	104.60 M^3	0.257			26.88		
5	Half Brick work in S/Str. In cm 1:4	317.02 sqm.	0.030			9.51		
6	Kota Stone flooring 20mm thick	71.75 sqm.	0.024			1.72		
7	Kota stone skirting 1:3	14.82 sqm.	0.024			0.35		
8	P/L vitrified tiles 600x600x10mm mm. thick in flooring	505.34 sqm.	0.01605			8.11		
9	P/L vitrified tiles 300x300x8mm mm. thick in skirting	27.30 sqm.	0.01605			0.43		
10	6mm thick glazed tiles	188.68 sqm.	0.0016			0.30		
11	6mm thick plaster in cm 1:3	299.32 sqm.	0.0077			2.30		
12	20mm thick cement plaster	898.99 sqm.	0.02400			21.58		

	in cm 1:6							
13	15mm thick cement plaster in cm 1:6	1093.26 sqm.	0.01760			19.24		
14	P/L plinth protection	60.48 sqm.	**Note : Quantities of Sand and Aggregate for these two Items may be worked out at your end.**					
15	Const. course rubble hammer dress "U" Shape drain	100.70 Rmt.						
16	Constructing manhole 800x800x 500	7 No.	0.28	0.55		1.96	3.85	
				Total		**168.09+**	**153.10+**	
Factors for conversion from M^3 to weight in Metric Tonnes						**1.60**	**1.46**	
Weight in Metric Tonnes						**268.94+**	**223.52+**	
Total weight						**492.46MT**		
Royalty due @ Rs. 60/MT being agreement of prior to 02/2022 in case M/W/X forms were not provided by the Contractor						**Rs. 29548 plus for Items at Sr. 14 & 15 above**		

परिशिष्ट-8

Annexure

Work-wise detail of Extra Items and Substitute Items for which approval of the competent authority was not shown to audit

पैरा सं० 13(4)5

1. Name of work : PSFS Hamirpur HP (SH: C/o 12 Nos. Cat-I Flats, Block No. 8 & 9)

Item No.	Nomenclature of Item	Quantity	Rate	Unit	Amount
			(Rs.)		(Rs.)
S.I.	Providing and laying in position machine batched and machine mixed design mix M-25 grade cement concrete for reinforced cement concrete work, using cement content as per approved design mix, including pumping of concrete to site of laying but excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement as per direction of Engineer-in-charge (Note:- Cement concrete consider in this item is @ 410 Kg/cum. Excess less cement used as per design this is payable/recoverable seprataly including carriage of material in all leads and lifts.)				
S.I. 1.01	All works upto plinth level.	174.44	7900 (P.R)	Per Cum	1378076
S.I. 1.02	All works above plinth level upto Floor V level	315.57	8100 (P.R)	Per Cum	2556117
	Total				**3934193**

पैरा सं० 13(5) 1

2. Name of Work : C/o 20 beded female barrack at Sub Jail Nerchowk, Mandi H.P.

		Quantity	Rate	Unit	Amount
			(Rs.)		(Rs.)
S.I.	Providing and laying in position machine batched and machine mixed design mix M-25 grade cement concrete for reinforced cement concrete work, using cement content as per approved design mix, including pumping of concrete to site of laying but excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, including admixtures in recommended proportions as per IS: 9103 to accelerate, retard setting of concrete, improve workability without impairing strength and durability as per direction of Engineer-in-charge including carriage of material in all leads and lifts: All works upto plinth level.				
S.I. 1.01	All works upto plinth level.	97.22	7800.00	Per Cum	758316.00
S.I. 1.02	All works above plinth level	117.65	7900.00	Per Cum	929435.00
	Total				**1687751.00**

परिशिष्ट – 8

पैरा 13(6)2

Annexure

(पृ-2/5

Work-wise detail of Extra Items and Substitute Items for which approval of the competent authority was not shown to audit

3.. Name of work : PSFS at Dhaundi, Distt.-Mandi,HP (SH: C.o 8Nos. BHK flats and 8 Nos. 2BHK flats with parking floor)

Item No.	Nomenclature of Item	Quantity	Rate	Unit	Amount (Rs.)
			(Rs.)		(Rs.)
S.I. 1.01	Providing and laying in position machine batched and machine mixed design mix M-25 grade cement concrete for reinforced cement concrete work, using cement content as per approved design mix, including pumping of concrete to site of laying but excluding the cost of centering, shuttering, finishing and reinforcement, including admixtures in recommended proportions as per IS: 9103 to accelerate, retard setting of concrete, improve workability without impairing strength and durability as per direction of Engineer-in-charge including carriage of material in all leads and lifts: All works upto plinth level.	874.41	7000.00	Per Cum	6120870.00
S.I. 1.02	All works above plinth level	488.26	7400.00	Per Cum	3613124.00
S.I. 1.03	Dry stone pitching 22.5 cm thick including supply of stones and preparing surface complete including carriage of material in all leads and lifts.	529.75	410.00	Per Sqm	217197.50
	Total				**9951191.50**

72

13(T)4

Annexure 8 (c) 3/5

Work-wise detail of Extra Items and Substitute Items for which approval of the competent authority was not shown to audit

4. Name of Work : C/o Directorate of Police communication and technical service centre at Mandi at Mandal (Bhangrotu) Tehsil Balh Distt. Mandi (SH: C/o Admn Block)

Item No.	Nomenclature of Item	Quantity	Rate (Rs.)	Unit	Amount (Rs.)
SI	Providing and fixing ivory colour powered coated aluminium thickness 50 micron for door, window,ventilators and partitions with extruded built up standard tubular and other section of approved make conforming to IS 733and IS 1285 anodised transparent or dyed to required shade according to IS 1868.(Minimum anodic coating of grade AC 15) fixed with rawlplugs and screws or with fixing clips,or with expansion hold fastners including necessary filling up of gaps at junction,at top,bottom and sides with required PVC/neoprene felt etc. Aluminium sections shallbe smooth,rustfree,straight,mitred and jointed mechanically where ever required including cleast angle,aluminium,snapbeading for glazinge/panelling C.P. brass/stainless steel screws. All complete as per architectural drawings and the direction of Engineer-In-Charge including carriage of material in all leads and lifts.(a) For doors windows and ventilators and glazed partitions frames.	5048.92	348.00	Per Kg.	1757024.16
SI	Providing and fixing ivory colour powered coated aluminium thickness 50 micron for door, window,ventilators and partitions with extruded built up standard tubular and other section of approved make conforming to IS 733and IS 1285 anodised transparent or dyed to required shade according to IS 1868.(Minimum anodic coating of grade AC 15) fixed with rawlplugs and screws or with fixing clips,or with expansion hold fastners including necessary filling up of gaps at junction,at top,bottom and sides with required PVC/neoprene felt etc. Aluminium sections shallbe smooth,rustfree,straight,mitred and jointed mechanically where ever required including cleast angle,aluminium,snapbeading for glazinge/panelling C.P. brass/stainless steel screws. All complete as per architectural drawings and the direction of Engineer-In-Charge including carriage of material in all leads and lifts.For shutters of doors windows & ventilators including providing and fixing hinges/pivots and making provsions for fixing of fittings where ever required including the cost of PVC/neoprene gaskets as required(fittings and glazinge/panelling shall be paid for separately)	4168.90	352.35	Per Kg.	1468911.92
	Total value of Substitute Items				**3225936.08**
Extra 1	Providing two coats(excluding priming coat) on new concrete/masonry/plastered surfaces with enamel paint of approved brand and manufacture for use on floors to give ann even shade,including cleaning of all dirt,dustand other foreign matter and sand papering as required.	887.22	76.00	Per Sqm.	67428.72

73

पत्र सं 13 (7) 4

Annexure 8 (पृ 4/5

Work-wise detail of Extra Items and Substitute Items for which approval of the competent authority was not shown to audit

Extra 2	Providing and fixing white vitreous china one piece EWC with slim soft close seat cover **640x350x725mm** Straight line design Square bowl with consealed S-trap complete,including all fitting and brackets,cutting and making good the walls and floors where ever required including carriage of material in all leads and lifts.	14.00	10567.00	Each	147938.00
Extra 3	Providing and fixing white vitreous china one piece EWC with slim soft close seat cover **665x370x750mm** Straight line design Square bowl with consealed S-trap complete,including all fitting and brackets,cutting and making good the walls and floors where ever required including carriage of material in all leads and lifts.	4.00	13413.00	Each	53652.00
Extra 4	Providing and fixing white vitreous china oval bowl counter wash basin 560x400x205 mm including all fitting and brackets,cutting and making good the walls and floors where ever required including carriage of material in all leads and lifts.	16.00	2687.00	Each	42992.00
Extra 5	Provding and fixing glazing in aluminium doors,window,ventilator shutters and partitions etc. with EPDM rubber/neoprene gasket etc.complete as per architectural drawings and the direction of Engineer-In- Charge.(Cost of aluminium snap beading shall be paid in basic item) including carriage of material in all leads and lifts.				
5.01	With float glass panes of 4.0 mm thickness (weight not less than 10 kg/sqm)	98.78	504.00	Per Sqm.	49785.12
5.02	With float glass panes of 5.0 mm thickness (weight not less than 12.50 kg/sqm)	222.32	560.00	Per Sqm.	124499.20
Extra 6	Providing and fixing fly proof stainless steel grade 304 wire gauge,to windows and clerestory windows using with gauge with average width of aperture 1.4 mm in both direction with wire of dia. 0.50 mm all complete including carriage of material in all leads and lifts: with 12 mm mild steel U beading	98.78	768.00	Per Sqm.	75863.04
Extra 7	Providing and fixing 12mm thick prelaminated partical board flat pressed three layer or graded wood particle board conforming to IS: 12823 Grade I Type II, in panelling fixed in aluminium doors, windows shutters and partition frames with C.P. brass / stainless steel screws etc. complete as per architectural drawings and directions of engineer-in-charge including carriage of material in all leads and lifts.	29.11	714.00	Per Sqm.	20784.54

74

पैरा सं 13(7)5
पृष्ठ 5/5

Annexure 8

Work-wise detail of Extra Items and Substitute Items for which approval of the competent authority was not shown to audit

Extra 8	Providing and fixing double action hydraulic floor spring of approved brand and manufacture conforming to IS: 6315, having brand logo embossed on the body / plate with double spring mechanism and door weight upto 125 kg, for doors, including cost of cutting floors, embedding in floors as required and making good the same matching to the existing floor finishing and cover plates with brass pivot and single piece M.S. sheet outer box with slide plate etc. complete as per the direction of Engineer-in-charge including carriage of material in all leads and lifts.. With brass cover plate minimum 1.25 mm thickness	2.00	2905.00	Each	5810.00
Extra 9	Providing and fixing plain multipurpose cement board (Hight pressure steam cured) with suitable screws for cement particle board in ceiling etc. complete (frame work to be paid separately).	98.45	842.00	Per Sqm.	82894.90
	Total value of Extra Items				671647.52
	Grand Total				3897583.60

पैरा सं 13(10)4

5. Name of work : C/o Extra Shed for existing Mushroom unit building at Sidhpur, Tehsil Dharampur, Distt- Mandi, H.P.

Item No.	Nomenclature of Item	Quantity	Rate	Unit	Amount
			(Rs.)		(Rs.)
E-1	Stone soling properly hand packed filling interstices with slalls and consolidating with hand ramming to the required level including watering and ramming complete in all leads in lifts.	98.09	600.00	Per Cum.	58854.00
E-2	Excavating supplying and filling of local earth (including royalty) by mechanical transport upto a lead of 5km also including ramming and watering of the earth in layers not exceeding 20cm in trenches plinth sides of foundation etc. complete.	1086.64	124.00	Per Cum.	134743.36
	Total				193597.36

पैरा सं 13(13)1

6. Name of work : C/o Housing colony at Rajwari Distt. Mandi (SH: Providing and laying external water supply to Housing colony)

Item No.	Nomenclature of Item	Quantity	Rate	Unit	Amount
			(Rs.)		(Rs.)
S.I.	Providing and fixing G.I. pipes complete with G.I. Fittings including trenching and refilling etc. including carraige of material in all leads and lifts.				
1.03	32 mm dia nominal bore	282.00	425.00	Per Rmt.	119850.00
1.04	40 mm dia nominal bore	235.30	500.00	Per Rmt.	117650.00
1.05	50 mm dia nominal bore	479.90	700.00	Per Rmt.	335930.00
	Total				573430.00

75

पत्रा सं० 13(9)।

Annexure – 9

Detail of W/X Forms which have been accepted for locations other than Hamirpur or location is indicated as "h" in r/o **Name of work : C/o 2 Nos. Type-IV staff quarter at Animal Husbandry Department Hamirpur as found attached with Voucher No. 85 of 02/2024**

Sr. No.	W/X Form No	Material Purchased	Quantity (Metric Tonnes)	Remarks if any
A- Location indicated as "Uttpur"				
1	2400417507279/23.11.23	Sand	5	
2	0414207506011/23.11.23	Sand	5	
3	1402047513451/24.11.23	Sand	5	
4	1428277666248/17.12.23	Sand,stone,aggregate	6	
5	2742817664926/17.12.23	Aggregate	6	
6	7224187696372/21.12.23	Aggregate	6	
7	4244167744012/27.12.23	Aggregate	6	
8	2410407553544/01.12.23	Sand	8	
9	0420417566803/03.12.23	Sand	8	
10	024410759623/07.12.23	Sand	8	
11	0144027602168/09.12.23	Sand	8	
12	4412007617601/11.12.23	Sand	8	
13	2004417632533/13.12.23	Sand	8	
14	4994297670406/18.12.23	Sand	8	
15	4994927679856/19.12.23	Sand	8	
16	4999247713357/23.12.23	Sand	8	
17	9992447747201/27.12.23	Sand	8	
18	4999427744221/27.12.23	Sand	8	
19	4992947754037/28.12.23	Sand	8	
		Total-A	**135**	
B-Location indicated as "h"				
20	4412027705454/22.12.23	Crusher material	5	
21	0421427702787/22.12.23	Crusher material	6	
22	1424027713469/23.12.23	Crusher material	6	
23	2404217726698/25.12.23	Crusher material	6	
24	2144027729185/25.12.23	Crusher material	6	
		Total-B	**29**	
C- Location indicated as "Longnee Dharampur"				
25	4999247691521/20.12.23	Sand	5	
26	3214127642612/14.12.23	Aggregate	6	
27	4287127657077/16.12.23	Aggregate	6	
		Total-C	**17**	
D- Location indicated as "Sajao/Saju"				
28	1322417625765/12.12.23	Aggregate	6	
29	4456327628761/13.12.23	Crusher material	6	
		Total-D	**12**	
		Grand Total (A+B+C+D)	**193 MT**	

Annexure – 10

Name of work :- Partially self financing scheme at Bilaspur (HP) SH:- Construction of additional 16 Nos, Type III Flats (internal & external service and development of site)

Name of Agency :- Sh. Rakesh Goel

Calculation of Royalty

Sr. No.	Item	Quantity Executed	Consumption factor			Theoretical Consumption of Material in M^3		
			Sand	Agg.	Stone	Sand	Agg.	Stone
1	P/L CC 1:2:4	8.66 M^3	0.445	0.89		3.85	7.71	
2	P/L CC 1:4:8	146.45 M^3	0.47	0.89		68.83	130.34	
3	P/L CC 1:6:12	257.32 M^3	0.47	0.89		120.94	229.01	
4	P/L CC M-20 (73.06+13.53+ 295.01+100.37+ 6.69) Factors for 1:2:4 considered	488.66 M^3	0.445	0.89		217.45	434.91	
5	P/L CC M-20 in chhajas Factors for 1:1:5:3 considered	12.25 M^3	0.425	0.85		5.21	10.41	
6	P/L CC 1:2:4 in moulding	1.68 M^3	0.445	0.89		0.75	1.50	
7	P/L CC 1:5:10	1464.04 M^3	0.47	0.89		688.09	1302.99	
8	P/L CC 1:8:16	22.48 M^3	0.47	0.89		10.56	20.00	
9	Brick work in cement mortar 1:6	187.41 M^3	0.257			48.16		
10	Half work in cement mortar 1:4	837.17 sqm.	0.030			25.12		
11	Brick work 7.62cm thick in cement mortar 1:3	110.85 sqm.	0.030			3.33		
12	Random rubble masonry in CM 1:6	34.66 M^3	0.353	0.69	1.16	12.23	23.92	40.21
13	Precast concrete block masonry in CM 1:6	1.34 M^3	0.257			0.34		
14	P/Fixing hold fast (.30x01x.15 x 504)	504 nos **2.268M^3**	0.47	0.89		1.06	2.02	
15	Cement concrete flooring in C.C 1:2:4 10mm thick	35.48 sqm.	0.0084	0.0208		0.29	0.74	
16	Cement concrete pavement 25 to 50 thick in CC 1:2:4	1154.66 sqm.	0.0222	.00445		25.63	5.13	

17	Glazed tiles 6mm thick in skirting & dado in CM 1:3	525.55 sqm.	0.0016			0.84		
18	P/L granite stone in flooring in CM 1:3	33.51 sqm	0.0266			0.89		
19	P/L of Kota stone flooring in CM 1:4	102.68 sqm	0.024			2.46		
20	P/L of Kota stone skirting CM 1:3	32.86 sqm	0.015			0.49		
21	P/L marble work in flooring in CM 1:3	46.19 sqm.	0.02397			1.11		
22	P/L 10mm antiskid vitrified tiles in flooring in CM 1:3	649 sqm	0.01605			10.42		
23	P/L vitrified tiles in flooring in CM 1:3	195.48 sqm	0.0016			0.31		
24	P/L vitrified tiles in skirting in CM 1:4	12.58 sqm	0.0016			0.020		
25	6mm thick cement plaster	1367.02 sqm	0.0077			10.53		
26	15 mm thick cement plaster in Cement mortar 1:6	2264.06 sqm	0.01760			39.85		
27	20mm thick cement plaster in cement mortar 1:6	1875.40 sqm	0.02400			45.00		
28	20mm thick cement plaster in cement mortar 1:3	309.61 sqm.	0.0273			8.45		
29	Constructing U-shape drain	20.75 Rmt	**Note : Quantities of Sand and Aggregate for these three Items may be worked out at your end.**					
30	Constructing chamber 600x400x600mm	16 nos						
31	Constructing manholes 800x800x1.0 Mtr	8 nos						
32	Constructing manholes 1200x900x1.0 Mtr	5 nos	0.54	1.06		2.7	5.3	
					Total	**1354.91**	**2173.98**	**40.21**
					Factors for conversion from M^3 to weight in Metric Tonnes	**1.60**	**1.46**	**2.24**
					Weight in Metric Tonnes	**2167.86+**	**3174.01+**	**90.07**
					Total weight MT	**5431.94 MT+**		
					Royalty due @ Rs. 60/MT being agreement of prior to 02/2022 in case M/W/X forms were not provided by the Contractor	**Rs. 325916.40 + for items at Sr. No. 29, 30 & 31 above**		